41

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

इत्तालीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2023/माघ,1944 (शक)

इत्तालीसवाँ प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

09.02.2023 **को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**
09.02.2023 **को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।**

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2023/माघ,1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना (ii)

प्राक्कथन (iii)

अध्याय एक प्रतिवेदन

अध्याय दो टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है

अध्याय तीन टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है

अध्याय चार टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

अध्याय पांच टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

अनुबंध

एक. समिति की 7 फरवरी, 2023 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश*

दो. समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

*साइक्लोस्टाइल्ड प्रति के साथ मामला संलग्न नहीं है

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. सुश्री सुनीता दुग्गल
6. श्री जयदेव गल्ला
7. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
8. डॉ. सुकान्त मजूमदार
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर
13. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
14. श्री संजय सेठ
15. श्री गणेश सिंह
16. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
17. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
20. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद[@]
21. श्री एस. जगतरक्षकन[$]

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
24. डॉ. जॉन ब्रिटास
25. श्री सैयद नासिर हुसैन
26. श्री इलयराजा
27. श्री जग्गेश
28. श्री प्रफुल्ल पटेल
29. श्री कार्तिकेय शर्मा
30. श्री जवाहर सरकार
31. श्री लहर सिंह सिरोया

सचिवालय

1. श्री सतपाल गुलाटी	-	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ए. ज्योतिर्मयी	-	निदेशक
3. श्रीमती रिंकी सिंह	-	कार्यकारी अधिकारी

समिति का समाचार भाग दो –, दिनांक बरअक्टू 4,सितंबर 13 के तहत 5288 का पैरा संख्या 2022 ,को गठन। 2022

@डॉ विष्णु प्रसाद को .के .एम .समाचार भाग दो –, दिनांक बरअक्टू 12,शशि थरूर के स्थान .के तहत डॉ 5311 का पैरा संख्या 2022 पर नामनिर्देशित किया गया।

$ श्री एस .जगतरक्षकन को समाचार पत्र भाग-दो के पैरा संख्याक 5580दिनांक 8दिसंबर, 2022के तहत नामनिर्देशित किया गया।

प्राक्कथन

मैं, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह इत्तालीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. चौंतीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 21 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किया गया था और इसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चौंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की गई कार्रवाई टिप्पण 26 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत किया था।

3. समिति ने 7 फरवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय- एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली;

8 फरवरी, 2023

19 माघ,1944 (शक)

प्रतापराव जाधव,

सभापति,

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगे (2022-23) पर समिति के 34वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. 34वां प्रतिवेदन 21 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 19 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त हो गए हैं और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश क्रम सं.-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 और 19

कुल -15
अध्याय-दो

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

कुल - शून्य
अध्याय-तीन

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:
सिफारिश क्रम सं.- 3

कुल - 1
अध्याय-चार

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं
सिफारिश क्रम सं.- 9, 13, और 14

कुल - 03
अध्याय-पांच

3. **समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यंत महत्व दिया जाएगा। समिति आगे यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की गई कार्रवाई उत्तर उन्हें शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं ।**

4. अब समिति उनकी कुछ सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करेगी।

<u>सूचना क्षेत्र</u>

<u>भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 3)

5. समिति ने 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' विषय पर अपने 34वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं:

"समिति नोट करती है कि भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार **(**आरएनआई**)** का कार्यालय **1956** में प्रथम प्रेस आयोग **(1953)** की सिफारिश पर और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम **(**पीआरबी**), 1867** में संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ एक संलग्न कार्यालय के रूप में**,** आरएनआई वैधानिक और गैर**-**सांविधिक कार्यों को निष्पादित करता है। आरएनआई देश भर में प्रकाशित समाचार पत्रों और प्रकाशनों का एक रजिस्टर रखता है**,** समाचार पत्रों और प्रकाशनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है**,** संबंधित जिला मजिस्ट्रेट **(**डीएम**)** को नए समाचार पत्रों के शीर्षक के अनुमोदन के बारे में सूचित करता है**,** और समाचार पत्रों के प्रकाशकों और प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। अपने गैर**-**सांविधिक कार्यों के तहत**,** आरएनआई आरएनआई के साथ पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ता प्रकाशनों के लिए अखबारी कागज के आयात के लिए स्व**-**घोषणा का प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है। वर्ष **2017-20** के दौरान**,** आरएनआई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना 'मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम' के तहत 'आरएनआई मुख्यालयों का सुदृढ़ीकरण' योजना के कार्यान्वयन के लिए राशि आवंटित किया गया था। वर्ष **2020-21** से पूरी योजना को एक स्वचालन परियोजना में मिला दिया गया है**,** जिसका व्यय स्थापना व्यय से पूरा किया जाएगा। अभी तक आरएनआई की कोई योजना नहीं है। वर्तमान में**,** शीर्षकों के लिए आवेदन ऑनलाइन भरा जा सकता है**,** शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण का कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से किया जा सकता है और सभी सत्यापित शीर्षकों को आरएनआई वेबसाइट पर डाला जा रहा है और डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में कार्यालय की विभिन्न प्रक्रियाओं सहित शीर्षक और पंजीकरण के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएंगी।

समिति को यह जानकर आश्चर्य होता है कि **31** मार्च, **2021** तक इस परियोजना का **35** प्रतिशत पूरा होने के बावजूद भी और आज पूरी प्रक्रिया मैनुअल है । जिसमें कलेक्टर को आवेदन करना होता है एवं अखबार के मालिक को उनके समक्ष शपथ देनी होती है फिर यह आरएनआई के पास भेजा जाता है जहां कागजात की भौतिक जांच की जाती है कि कितने पेपर प्रकाशित हुए हैं, आदि। तत्पश्चात इसे पंजीकृत करना होता है। यह भी आश्चर्य की बात है कि डिजिटलीकरण के वर्तमान समय में जब जीवन के लगभग सभी काम डिजिटल मोड में हो रहे हैं, फिर भी लगभग **70,000** से **80,000** अखबारों का वार्षिक रिटर्न, शुल्क का भुगतान, सभी प्रकाशनों को प्रचार प्रसार, सांख्यिकी और अन्य गतिविधियां क्रिया-कलाप मैन्युअल रूप से होती हैं। समिति को आश्चर्य लगता है कि स्वचालन की इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी क्यों की गई है। यह केवल यह दर्शाता है कि हम समय से बहुत पीछे चल हैं। इसलिए, समिति मंत्रालय को आरएनआई में ऑटोमेशन प्रक्रिया को तीव्र करने और इसे भुगतान प्रणाली से जोड़ने की सिफारिश करती है ताकि समय कम में और समाचार पत्रों का एक ही स्थान पर निरंतर रिकॉर्ड किया जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित कर सकता है ताकि प्रकाशन उद्योग में कारोबार को आसान बनाया जा सके।

यहां तक कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, **1867** के संबंध में, मंत्रालय को सूचित किया गया है कि उन्होंने उस अधिनियम में एक संशोधन पर किया है। हालांकि, इसे अभी तक परिचालित नहीं किया गया है और इसे कैबिनेट को भेजा जाना है। इस विधेयक को समिति के पास भेजा गया था और समिति ने **2011** में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम लगभग **160** वर्ष पुराना है, समिति मंत्रालय को अधिनियम के संशोधन में देरी न करने की सिफारिश करती है और उन्हें प्रस्तावित संशोधन के बारे में भी अवगत कराती है। इसके अलावा, डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया से संबंधित मंत्रालय को दिए गए नए जनादेश के आलोक में, समिति मंत्रालय को ऑनलाइन समाचार पत्रों पर इस अधिनियम ककको लागू करने की स्थिति स्पष्ट करने की भी सिफारिश करती है। आरएनआई को बजट आवंटन के संबंध में, मंत्रालय बता सकता है कि वर्ष **2022-23** के दौरान बजट बीई स्तर पर आरएनआई के लिए रुपये **7.95** करोड़ रुपये आवंटित क्यों किए गए हैं, जब आरएनआई की कोई योजना नहीं है और आरएनआई के स्वचालन परियोजना व्यय को स्थापना व्यय से पूरा किया जाएगा। समिति मंत्रालय को **2021-22** के विपरीत **2022-23** के दौरान निधि का पूर्ण उपयोग करने की सिफारिश करती है, जिसमें वास्तविक आरएनआई के तहत व्यय बीई और आरई आवंटन का क्रमशः **68.19%** और **70.68%** था।

6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि:

" आरएनआई के लिए ब.प्रा. आवंटन 8.52 करोड़ रुपए है। सं.प्रा. में इसे 8.21 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक व्यय 7.75 करोड़ रुपए था जोकि सं.प्रा. का 94.38% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरएनआई का ब.प्रा. 7.95 करोड़ रुपये है। इस आवंटन में से प्रमुख घटकों में वेतन के लिए 5.40 करोड़, 'कार्यालय व्यय' के लिए 1.11 करोड़ रुपए और 'पेशेवर सेवाओं' के लिए 0.87 करोड़ रुपए शामिल हैं।"

7. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में चार सिफारिशें की थीं जिनका सारांश निम्नवत है**:

(i) **पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और आरएनआई में स्वचालन प्रक्रिया को तेज करना**;

(ii) **'प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम**, 1867' **में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में अवगत कराना और लगभग** 160 **वर्ष पुराने अधिनियम के संशोधन में देरी नहीं करना**;

(iii) **ऑनलाइन समाचार पत्रों में 'प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम**, 1867' **के अनुप्रयोग के बारे में स्पष्टीकरण करना**; **और**

(iv) **बीई चरण में वर्ष** 2022-23 **के दौरान आरएनआई के लिए** 7.95 **करोड़ रुपये आवंटित करने के कारणों से अवगत कराना**, **जबकि आरएनआई के स्वचालन परियोजना व्यय को स्थापना व्यय से पूरा किया जाना था। वर्ष** 2022-23 **के दौरान निधि का पूर्ण उपयोग करना।**

समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने केवल ऊपर उल्लिखित बिंदु संख्या (iv) **का उत्तर दिया है और यह पाया गया है कि वर्ष** 2021-22 **के दौरान व्यय संतोषजनक है। तथापि**, **समिति इस तथ्य पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है कि मंत्रालय का उत्तर इस पैरा में अंतर्विष्ट अन्य सभी सिफारिशों के संबंध में अस्पष्ट है। इसलिए समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह भविष्य में ऐसी टालमटोल वाली की गई कार्रवाई से बचे और समिति द्वारा उजागर किए गए उपरोक्त सभी मुद्दों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध कराए।**

<u>डीडी-किसान</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 12)

8. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणी/सिफारिश की थी:

"समिति यह नोट करती है कि डीडी किसान जो कि एक चौबीस घंटे चलने वाला सेटलाईट चैनल है**, 26** मई**, 2015** को किसानों और कृषि क्षेत्र को अनन्य तौर पर समर्पित किया गया था। प्रसार भारती द्वारा डीडी किसान चैनल का एक समर्पित यू ट्यूब चैनल भी चलाया जा रहा है जहां इस चैनल और इसके विभिन्न कार्यक्रमों को विश्व के दर्शक डिजिटल माध्यम से देख सकते हैं। यह चिंता का विषय है कि वर्ष **2021-2022** के दौरान डीडी किसान के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके लिए आवंटित **32.70** करोड़ रूपए की धनराशि में से केवल **9.43** करोड़ रूपए का उपयोग किया गया है और दिसम्बर**, 2021** तक **1979** घंटों के लक्षित उत्पादन में से केवल **1567** घंटों के कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। इस चैनल के भारत में किसान और ग्रामीण समुदाय को सेवा प्रदान करने और देश के दूरस्थ भागों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उत्कृष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए**,** समिति इस चैनल के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त न होने पर सख्त आपत्ति व्यक्त करती है और मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वर्ष **2022-2023** के दौरान इसकी पुनरावृत्ति न हो। समिति मंत्रालय से यह सिफारिश भी करती है कि वह इस चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों और डीडी किसान के यू ट्यूब चैनल के बारे में उचित ढंग से विज्ञापन करे जहां दर्शक डीडी किसान चैनल के कार्यक्रमों की पहुंच अधिक से अधिक हो सके। समित यह अपेक्षा करती है कि उसे चैनल की शुरूआत से इसके लिए बनाए गए कार्यक्रमों की संख्या और प्रकार**,** बजट आवंटन और

उपयोग, चैनल की पहुंच या दर्शक आंकड़ा, आदि के ब्यौरे से अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि डीडी समय-समय पर किसान चैनल के कार्यक्रमों का प्रभाव का अध्ययन कराया जाए।"

9. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

"वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के अंत तक "डीडी किसान" द्वारा भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है। सं.प्रा. 2021-22 में 38.48 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 38.24 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। 2100 घंटे से अधिक के कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया है और 31.03.2022 तक 1979 घंटे का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

डीडी किसान यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम अपलोड किए जा रहे हैं, जिसके वर्तमान में लगभग 0.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कार्यक्रम में क्यूआर कोड भी प्रसारित किया जा रहा है ताकि दर्शक चाहें तो यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम देख सकें। यदि दर्शक कोड को स्कैन करता है, तो यह डीडी किसान यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट पर रीडायरेक्ट करता है।

वर्तमान में, डीडी किसान पर कृषि, पशुपालन, कृषि नवाचार, मौसम पूर्वानुमान, कमोडिटी बाजार और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित 18 कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। बार्क के डेटा के अनुसार, यह सामने आया है कि वर्ष 2021 में "डीडी किसान" चैनल के 160 मिलियन अद्वितीय दर्शक थे।

डीडी किसान का बजट आवंटन और पिछले वर्षों में इसका उपयोग निम्नानुसार है:

डीडी किसान की स्थापना के बाद से आवंटन और व्यय
(पूंजीगत और सामग्री)

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	**आवंटित बजट**	**बजट का उपयोग किया गया है**
2014-15	26.00	23.11
2015-16	26.25	26.25
2016-17	70.00	66.31
2017-18	59.96	38.95
2018-19	48.85	31.56
2019-20	17.55	16.43
2020-21	19.50	18.73
2021-22	38.48	38.24

10. **समिति ने अपने चौंतीसवें प्रतिवेदन में वर्ष** 2021-22 **के दौरान डीडी किसान के लिए निर्धारित वास्तविक**

और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर चिंता व्यक्त की थी और मंत्रालय से वर्ष 2022-23 **के दौरान इन्हें नहीं दोहराने के लिए कहा था। समिति संतोष व्यक्त करती है कि वर्ष** 2021-22 **में संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर आवंटित** 38.48 **करोड़ रुपये में से** 38.24 **करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया गया है और** 1979 **घंटे के कार्यक्रमों के निर्माण के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में**, 31.03.2022 **तक** 2100 **घंटे से अधिक के कार्यक्रम प्रसारित किए जा चुके हैं। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि इन कार्यक्रमों को डीडी किसान यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जा रहा है, जिसके सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग** 0.8 **मिलियन है। इसके अलावा**, **ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के आंकड़ों के अनुसार**, **वर्ष** 2021 **में 'डीडी किसान' चैनल के** 160 **मिलियन अनन्य दर्शक थे। डीडी किसान चैनल के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के सभी प्रयासों की सराहना करते हुए**, **समिति मंत्रालय को चैनल की पहुंच बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखने और 'डीडी किसान' चैनल के तहत किए गए कार्यक्रमों का आवधिक प्रभाव अध्ययन करने की सिफारिश करती है ताकि इसके कार्यक्रम की सामग्री में तदनुसार रूप से सुधार किया जा सके।**

<u>पीएम ई-विद्या</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 13)

11. समिति ने अपने 34वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें कीं:

"समिति यह नोट करती है कि बजट भाषण **(2022-2023)** में की गई घोषणा के अनुसार पीएम-ई विद्या के अंतर्गत 'एक कक्षा एक टीवी चैनल' कार्यक्रम पर मंत्रालय द्वारा प्रमुखता से ध्यान दिया गया है। मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि फिलहाल पीएम-विद्या के अंतर्गत बारह चैनल हैं और इन बारह टीवी चैनल को क्लास **1** से **12** के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा के लिए **200** कर दिया जाएगा। समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय का आशय इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन और फ्री डिश प्लेटफोर्म पर समर्थन प्रदान करना है और वे इस पर शिक्षा मंत्रालय के साथ कार्य करेंगे। भास्कराचार्य इन्स्टीट्यूट आफ स्पेस अपलीकेशन्स को यह कार्य सौंपा गया है। वे एक टेलीपोर्ट चला रहे हैं जहां वे **40** शैक्षिक चैनलों को अपलिंक कर रहे हैं**, 12** स्कूल शिक्षा के लिए और शेष उच्चतर शिक्षा के लिए। इसलिए**,** स्कूल शिक्षा के लिए **12** चैनलों को बढ़ाकर **200** चैनल किया जाएगा ताकि पूरे भारत की प्रत्येक भाषा का शामिल किया जा सके। यह ईडीयूएसएटी से अलग है जिसमें परस्पर आदान-प्रदान था और वीएसएसी टर्मिनल पर आधारित था। समिति स्कूल शिक्षा के लिए चैनल को **12** से बढ़ाकर **200** करने के प्रयास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए**,** मंत्रालय से सिफारिश करती है कि इनकी संख्या को आवश्यकता होने पर और अधिक बढ़ाए ताकि भारत की सभी भाषाओं को शामिल किया जा सके। समिति चाहती है कि उसे पीएम-विद्या के अंतर्गत और विवरण की सूचना दी जाए जिसमें योजना के लिए वास्तव में आवंटित बजट और उसके कार्यान्वयन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित बजट और **200** चैनलों के चालू होने की समय-सीमा**,** कवर की जाने वाली भाषाएं **,** प्रत्येक भाषा और राज्यों में प्रसारित किए जाने वाले चैनलों का ब्यौरा**,** आदि शामिल हैं। समिति को पीएम-

विद्या के अंतर्गत की गई प्रगति और इस परियोजना के प्रभाव के अध्ययन से भी अवगत कराया जाए। समिति यह सिफारिश भी करती है कि मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय , शिक्षा क्षेत्र और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों से व्यक्तियों को लेकर कार्य दल का गठन करने के संबंध में विचार करना चाहिए ताकि इसके प्रभाव का आकलन और सुधार के लिए भावी कार्य योजना का सुझाव दिया जा सके।"

12. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

"शिक्षा मंत्रालय [केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक घटक इकाई] द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार::

- टीवी चैनलों को 12 से 200+ तक बढ़ाने का काम जोर-शोर से शुरू हो गया है। सभी 200 चैनलों के लॉन्च के बाद पूरी तरह से समीक्षा करने से इस संबंध में उचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
- 12 चैनलों को 200 चैनलों तक बढ़ाने के लिए पीएम ई-विद्या बजट विवरण को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। तथापि, पीएम ई-विद्या के विभिन्न घटकों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 1,509,151,000/- रुपये की राशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार आवंटित की गई है:

कार्यक्रम संहिता	**शीर्षक यदि वर्ष 2022-2023 के लिए पीएम ई-विद्या के तहत कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है**	**आवंटित राशि**
20.17	स्कूल शिक्षकों, अध्यापक शिक्षकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दीक्षा/आईसीटी उत्कृष्टता पुरस्कार (जारी है)	90,75,000/- रु
20.18	महोत्सव आईसीटी मेला, डिजिटल सामग्री की प्रतियोगिताओं का आयोजन, और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय।	54,40,000/- रु
20.19	*पीएम ई-विद्या का प्रबंधन (एक वर्ग, एक चैनल, रेडियो, प्रसारण, पॉडकास्ट)*	24,75,00,000/-रु
20.20	दीक्षा - एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म	82,97,86,000/-रु
20.21	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास - तकनीकी मंच	7,97,00,000/- रु
20.22	निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण	2,36,50,000/- रु
20.23	स्किल ई-लर्निंग लैब का विकास	5,00,00,000/- रु
20.24	वर्चुअल लैब का विकास	26,40,00,000/-रु
	कुल राशि	**1,509,151,000/-रु**

- स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अभिविन्यास कार्यक्रमों और परामर्श के साथ शुरू हो चुकी है, जो 22-23 मार्च, 2022 को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर में आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 17 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/संगठनों ने भाग लिया। ई-सामग्री के निर्माण, संकलन और प्रसार के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को पहले ही बड़ी संख्या में हितधारकों के साथ साझा किया जा चुका है। बीआईएसएजी-एन ने सूचित किया है कि सिविल/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना तैयार करने के मामले में भी उनकी तैयारी जोरों पर है। ट्रांसपोंडर को काम पर रखा जाएगा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) इसके लिए तैयार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चैनल आवंटन की संख्या पर चर्चा की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वीडियो सामग्री के साथ तैयार रहने के लिए सूचित किया गया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बीआईएसएजी-एन, गांधी नगर में 30-31 मई 2022 तक राज्य के पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय दूसरा अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- इस पहल के तहत, देश की सभी प्रमुख भाषाओं को भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) सहित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से कवर किया जाना है।
- अभी तक पूरे देश में सभी 12 चैनल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में चल रहे हैं। जैसे ही, 200 चैनलों के हिस्से के रूप में अधिक संख्या में चैनल क्रियाशील होते हैं, प्रत्येक भाषा और राज्यों में रिले किए गए चैनलों का विवरण उपलब्ध होगा।
- सीआईईटी, एनसीईआरटी ने उक्त परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पहले से ही एक शोध कार्यक्रम की योजना बनाई और प्रस्तावित की गई है।
- सीआईईटी, एनसीईआरटी ने एक अकादमिक सलाहकार समिति (एएसी) का गठन करने की योजना बनाई और प्रस्तावित की गई है जिसमें अकादमिक, और एडटेक क्षेत्र के लोग और क्षेत्र के अन्य हितधारक शामिल हैं, जो प्रभाव का आकलन करने में सलाह देने और सहायता करने के साथ-साथ सुधार के लिए भविष्य की कार्रवाई का सुझाव देते हैं।"

13. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत स्कूली शिक्षा के लिए टी.वी. चैनलों की संख्या** 12 **से बढ़ाकर** 200 **करने के कदम पर प्रसन्नता व्यक्त की थी और योजना का ब्यौरा मांगते समय उन्होंने मंत्रालय से प्रभाव का आकलन करने सहित सुधार के लिए भविष्य की कार्रवाई हेतु सुझाव देने के लिए एक कार्यबल गठित करने के बारे में विचार करने की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने सूचित किया है कि टीवी चैनलों को** 12 **से बढ़ाकर** 200 **से अधिक चैनलों तक विस्तारित करने का कार्य सही तरीके से शुरू हो गया है और चैनलों के विस्तार के लिए बजट विवरण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। हालांकि, पीएम-ई-विद्या के विभिन्न घटकों हेतु वर्ष** 2022-23 **के लिए लगभग** 1.51 **करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। योजना को लागू करने की प्रक्रिया पहले ही राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उन्मुखीकरण कार्यक्रमों और परामर्श कार्यक्रम के साथ शुरू की जा चुकी**

है, जो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर में 22-23 मार्च, 2022 को आयोजित किए गए थे और लगभग 17 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों / संगठनों ने इसमें भाग लिया था । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चैनल आवंटन की संख्या पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) सहित देश की सभी प्रमुख भाषाओं को कवर किया जाना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) ने उक्त परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान कार्यक्रम की पहले ही योजना और प्रस्ताव तैयार किया है और सीआईईटी एक अकादमिक सलाहकार समिति (एएसी) गठित करने का प्रस्ताव कर रहा है जिसमें अकादमिक क्षेत्र के लोग और एडटेक क्षेत्र तथा इस क्षेत्र के अन्य स्टेकहोल्डर शामिल होंगे जो प्रभाव का आकलन करने में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे तथा सुधार के लिए भावी कार्रवाई का सुझाव देंगे। समिति प्रधानमंत्री ई-विद्या के तहत 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' कार्यक्रम के महत्व की सराहना करते हुए योजना और योजना के तहत प्रगति पर संतोष व्यक्त करती है । बहरहाल, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करे ताकि वे योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को नजरअंदाज न कर सकें। समिति वर्ष 2022-23 के लिए पीएम ई-विद्या के विभिन्न घटकों के लिए आवंटित राशि की उपयोग स्थिति के बारे में अवगत होना चाहेगी । मंत्रालय इस योजना के लिए किए गए समग्र बजटीय आवंटन, सभी 200 से अधिक टी.वी. चैनलों को कार्यात्मक बनाने की समयसीमा, कवर की जाने वाली भाषाओं, प्रत्येक भाषा और राज्यों में प्रसारित किए जाने वाले चैनलों की संख्या, पीएम ई-विद्या के तहत की गई समग्र प्रगति आदि के बारे में समिति को अवगत कराए।

****

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

(सिफारिश क्रम संख्या 1)

<u>अनुदान की मांगें (2022-23) और समग्र बजटीय विश्लेषण</u>

मांग संख्या 61 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और प्रसार भारती सहित स्वायत्त/अनुदानी निकायों के व्यय शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए 4379.83 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले बजट अनुमान स्तर पर 3980.77 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें से 'केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं' के लिए प्रस्तावित 942.15 करोड़ रु. के मुकाबले 630 करोड़ रुपये, 'केन्द्र के स्थापना व्यय' के लिए प्रस्तावित 652.87 करोड़ रुपये के मुकाबले 582.87 करोड़ रुपये और 'अन्य केंद्रीय व्यय [केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) और स्वायत्त निकायों सहित] के लिए प्रस्तावित 2784.81 करोड़ रुपये के मुक़ाबले 2767.90 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमान 4071.23 करोड़ रुपये थी जिसको घटाकर संशोधित अनुमान के चरण में 3764,69 करोड़ हो गई है और 14 फरवरी, 2022 तक वास्तविक उपयोग 3198.40 करोड़ रुपये रहा है जो कि संशोधित अनुमान के आवंटन का 84.96% और बजट अनुमान के आवंटन का 78.56% है। 2021-22 के दौरान तीन श्रेणियों अर्थात केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र की स्थापना व्यय और 'अन्य केंद्रीय व्यय' के लिए उपयोग प्रतिशत (संशोधित अनुमान के संबंध में) क्रमशः 60.14%, 81.24% और 89.68% था। 2021-22 के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारणों पर मंत्रालय ने कहा है कि वे भौतिक और वित्तीय दोनों दृष्टि से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगें। 2020-21 के दौरान भी उन्होंने समिति को पूर्ण उपयोग प्राप्त करने का आश्वासन दिया था, फिर भी वे केवल 77.26 प्रतिशत का ही उपयोग कर पाए। समिति अत्यधिक चिंता के साथ नोट करती है कि बार-बार आश्वासन के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में निधियों का कम उपयोग किया गया है। समिति यह जानकर भी व्यथित है कि कुछ योजनाओं/संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों के तहत भौतिक प्रदर्शन भी कोविड -महामारी के कारण लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब जबकि महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है और स्थिति में सुधार हो रहा है, समिति मंत्रालय को उनकी कार्यान्वयन रणनीतियों की समीक्षा करने और 2022-23 के दौरान राशि का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश करती है। समिति मंत्रालय को योजनाओं की योजना और अनुमोदन को कारगर बनाने और परियोजना/योजना/संगठन आदि के प्रमुखों द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन करवाने की भी सिफारिश करती है। समिति को मंत्रालय द्वारा 2022-23 के दौरान आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए की गई पहलों और उसके परिणामों से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संबंधित स्कंधों द्वारा निधि के पूर्ण उपयोग और व्यय की बेहतर चरणबद्धता को प्राप्त करने के लिए व्यय के लिए अवधि-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। संबंधित संयुक्त सचिव आवंटन के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में व्यय की निगरानी और समीक्षा करेंगे।

प्रसार भारती के संबंध में, परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रसार भारती का निरंतर प्रयास है। खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। परियोजना समीक्षा बैठकें जोनल स्तर, परियोजना निगरानी और बजट निगरानी यूनिटों के स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और पूंजीगत उपकरणों की खरीद और कार्यों के निष्पादन में शामिल विभिन्न गतिविधियों का सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नियमित रूप से ई-ऑफिस, ई-मेल, ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का उपयोग किया जा रहा है। निगरानी तंत्र को काफी मजबूत किया गया है और मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

<u>केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) को युक्तिसंगत बनाना</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 2)

समिति नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 में योजना स्कीमों का व्यापक युक्तिकरण और पुनर्गठन किया गया था, जिसे 2020-21 में लागू किया गया था। परिणामस्वरूप, 14 योजनाओं और 13 उप-योजनाओं को घटाकर 5 योजनाओं अर्थात विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी), विकास संचार और फिल्म सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी), चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस), प्रसारण बुनियादी ढांचा विकास (प्रसार भारती) और सहायक सामुदायिक रेडियो में शामिल कर दिया गया। समिति को यह बताया गया था कि उपरोक्त कार्य संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए किया गया था। इसके बावजूद, डीसीआईडी, डीसीडीएफसी, बीआईएनडी (प्रसार भारती) और एससीआर जैसी चार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में कमी दर्ज की गई है क्योंकि उपरोक्त योजनाओं के तहत वास्तविक उपयोग संशोधित अनुमान का क्रमशः 50.88 फीसदी, 61.31 फीसदी, 69.75 फीसदी और 30.80 फीसदी रहा है। चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत 2021-22 के दौरान 'शून्य' खर्च किया गया है। 2020-21 के दौरान भी इस तथ्य के बावजूद कि मंत्रालय ने प्रस्तावित 50 करोड़ रुपये के मुकाबले 1.59 करोड़ रुपये का आवंटन किया था, 'शून्य' व्यय हुआ था। इसका कारण पूछे जाने पर, समिति को यह जानकर आश्चर्य होता है कि मंत्रालय ने दो सीएसएस अर्थात डीसीडीएफसी योजना के साथ चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना का विलय करने का प्रस्ताव किया है क्योंकि उनके उद्देश्य बहुत हद तक संबंधित हैं। डीसीडीएफसी योजना को 31 मार्च, 2021 से आगे जारी रखने के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के प्रस्ताव, जिसमें चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के घटक शामिल हैं, को वित्त मंत्रालय से मंजूरी जल्द ही अपेक्षित है। समिति यह समझने में विफल है कि संसद द्वारा मांगों को पारित करने के बाद मंत्रालय अनुमोदन प्राप्त करने की प्रथा क्यों अपना रहा है। समिति की राय में, योजना स्कीमों के व्यापक युक्तिकरण और पुनर्गठन के दो साल बाद उद्देश्यों का ऐसा विलंबित मूल्यांकन न केवल मंत्रालय की योजना एक खराब प्रतिबिंब है, बल्कि योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर भी गंभीर प्रभाव डालता है जो कि गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए, समिति मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह अपनी योजना को विस्तृत चर्चा के चरण में ही अधिक यथार्थवादी और व्यावहारिक बनाएं ताकि योजनाएं समय पर शुरू हो सके। अब जबकि मंत्रालय ने अपनी योजनाओं को चार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में सीमित कर युक्तिसंगत बना दिया है, समिति को उम्मीद है कि यह योजना के अनुसार संसाधनों का समेकन उपयोग में लचीलापन प्रदान करेगा और इसके परिणामस्वरूप राशि का बेहतर उपयोग होगा जिससे इष्टतम आउटपुट और परिणाम प्राप्त होंगे। समिति मंत्रालय को योजनाओं के तहत निर्धारित समय-सीमा और उद्देश्यों के अनुसार सुपुर्दगी और लक्ष्यों को प्राप्त करने की सिफारिश करती है और उन्हें इसके बारे में अवगत कराती रहे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वर्ष 2021-22 के दौरान 31.03.2022 तक डीसीडीएफसी स्कीम के तहत सं.प्रा. आवंटन का 94.74% उपयोग किया गया है।

श्रव्य-दृश्य सेवाएं उन 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों में से एक हैं, जिन पर बल देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस क्षेत्र के 11.5% के सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। यह स्कीम भारत में विदेशी फिल्म की शूटिंग को प्रोत्साहित करके देश में फिल्मांकन / शूटिंग में वृद्धि के माध्यम से राजस्व सृजन, रोजगार सृजन और फिल्म पर्यटन और डाउनस्ट्रीम संबद्ध उद्योगों के विकास जैसे प्रेरित लाभों को बढ़ाएगी। यह होटल/रेस्तरां/खानपान, परिवहन, एयरलाइंस, विपणन को भी बढ़ावा देगी। यह उम्मीद की जाती है कि यह स्कीम एआर/वीआर/वीएफएक्स क्षेत्र और निर्माण और निर्माण के बाद की गतिविधियों जैसे कैमरा, लाइट, उपकरण, आदि में विकास को प्रोत्साहित करेगी। ये गतिविधियां टेलीविजन, संगीत, रेडियो, पुस्तकें, पत्रिकाएं, व्यापारिक उत्पाद, मनोरंजन पार्क, गेमिंग आदि जैसे कई सहायक क्षेत्रों के लिए कच्चा माल भी उत्पन्न करती हैं।

चूंकि श्रव्य दृश्य सेवाओं के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम (सीएसएसएस) का उद्देश्य मंत्रालय की फिल्मी सामग्री के विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) स्कीम से संबंधित हैं, इसलिए सीएसएसएस को डीसीडीएफसी स्कीम के साथ विलय कर दिया गया है क्योंकि यह संसाधनों का समेकन उपयोग में लचीलापन प्रदान करेगा जिससे धन का बेहतर उपयोग हो सके। विलय की गई डीसीडीएफसी स्कीम में सीएसएसएस घटक के लिए 451 करोड़ रुपये के परिव्यय को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है:

क्र.सं.	**घटक**	**परिव्यय (करोड़ में)**
(i)	विदेशों के साथ दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण के लिए प्रोत्साहन	166.00
(ii)	भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना	165.00
(iii)	ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन	120
	कुल योग	**451.00**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी सेवाओं को बढ़ावा देकर और भारत को विश्व फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए अर्थव्यवस्था के ऑडियो-विजुअल सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसएसएस की निर्धारित समय-सीमा और उद्देश्यों के अनुसार डिलिवरेबल्स और लक्ष्यों को पूरा किया जाए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

(सिफारिश क्रम संख्या 4)

<u>भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) और आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन</u>

समिति ने डीएफजी (2019-20) पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में देखा था कि आईआईएमसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उन्नयन की योजना शुरू नहीं हुई थी। समिति यह जानकर हैरान है कि परियोजना यथास्थिति है और आज तक नई दिल्ली परिसर में निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं। आईआईएमसी के अंतर्गत धीमी प्रगति के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने सूचित किया है कि नई दिल्ली परिसर में गेस्ट हाउस, छात्रावास भवन और अकादमिक परिसर का निर्माण रिज प्रबंधन बोर्ड और दिल्ली सरकार के अन्य नागरिक प्राधिकरणों के नियमित अनुवर्ती प्रयास अनुमोदन के बावजूद शुरू नहीं किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा था कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मंजूरी मिल सकती है। तदनुसार, बीई स्तर पर 3 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान किए गए थे, जिसे आरई चरण में 20 लाख और घटाकर रु कर दिया गया एवं अंतिम अनुदान चरण में सारे अनुदान वापस कर दिए गए। यह बहुत ही निराशाजनक है कि इतनी महत्वपूर्ण परियोजना लंबी अवधि से अधर में लटकी हुई है और अभी तक मंत्रालय रुकावटों को दूर करने में असमर्थ है। मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि क्षेत्रीय परिसर जम्मू के साथ-साथ आइजोल परिसर में निर्माण कार्य जो श्रमिकों की कमी के कारण प्रभावित हुए थे, अब गति पकड़ ली है। आईआईएमसी की भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए, लगातार बढ़ते और बदलते मीडिया उद्योग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और प्रशिक्षण और अनुसंधान में कई विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संचालन में आईआईएमसी के तहत लक्ष्यों को समय पर पूरा करना बहुत वांछनीय है। समिति, आईआईएमसी के तहत परियोजनाओं के निष्पादन में इस तरह के अत्यधिक विलंब को अस्वीकार करते हुए मंत्रालय को परियोजना के शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश करती है ताकि लागत और समय की अधिकता से बचा जा सके। समिति को आईआईएमसी दिल्ली में नए भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए तय की गई नई समय-सीमा से अवगत कराया जाए और उच्चतम स्तर पर मंजूरी के मुद्दे को उठाया जाए। मंत्रालय आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों के निर्माण कार्य के में हुई प्रगति से भी अवगत करा सकता है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

<u>आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन</u>

रिज प्रबंधन बोर्ड की सिफारिश पर, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने 15 अक्टूबर 2019 को साइट का निरीक्षण किया और माननीय न्यायालय के समक्ष रखने के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट (पीआईएल अनुभाग) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह मामला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अदालत में विचाराधीन था। इस मामले की सुनवाई अंततः 13 जनवरी 2021 को हुई, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईएमसी को सीईसी द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन आईआईएमसी नई दिल्ली में नए अतिरिक्त संस्थागत भवनों के निर्माण की अनुमति दी। सीईसी ने निर्माण के लिए दो भवनों (अकादमिक ब्लॉक और छात्रावास ब्लॉक) को मंजूरी दी है।

चूंकि सीईसी की सलाह पर पहले प्रस्तुत भवन के नक्शे को संशोधित किया गया है, आईआईएमसी को अब नागरिक प्राधिकरणों अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली नगर कला आयोग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली अग्निशमन सेवा आदि की मंजूरी प्राप्त करने के लिए मामले को नए सिरे से प्रस्तुत करना आवश्यक है; चूंकि सीपीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्य सौंपा गया है, वे संबंधित प्राधिकरणों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में, आईआईएमसी और सीपीडब्ल्यूडी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और परियोजना के प्रारंभ के संबंध में आईआईएमसी और सीपीडब्ल्यूडी के बीच बैठकें हुई हैं, और आखिरी 16.06.2022 को हुई है।

परियोजना को पूरा करने की संभावित समय सीमा परियोजना शुरू होने की तारीख से 3 वर्ष है।

<u>आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों के निर्माण कार्य में हुई प्रगति</u>

आईआईएमसी, आइजोल: छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित प्रशासनिक सह शैक्षणिक ब्लॉक को पहले ही आईआईएमसी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी से 7 अप्रैल 2022 को लिया गया है। साइट पर शेष कार्य और अन्य विकास कार्य प्रगति पर हैं और सितंबर 2022 में पूरा होने की संभावना है।

नया शैक्षणिक सत्र आईआईएमसी के नए स्थायी परिसर से अगस्त/सितंबर 2022 में शुरू होगा।

आईआईएमसी, जम्मू: छात्रावास सहित प्रशासनिक-सह-शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और 22 जून, 2022 को आईआईएमसी द्वारा सीसीडब्ल्यू से इसका कब्जा ले लिया गया है। टाइप II, IV और V क्वार्टरों का 31 जुलाई 2022 तक कब्जा लिए जाने की संभावना है। साइट पर शेष कार्य और अन्य विकास कार्य प्रगति पर हैं और नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पहले पूरे कर लिए जाएंगे।

नया शैक्षणिक सत्र आईआईएमसी के नए स्थायी परिसर से अगस्त/सितंबर 2022 में शुरू होगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

<u>प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 5)

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सूचना का प्रसार करती है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कमिटी नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन बीई और आरई स्तर पर रु. 102.99 करोड़ और रु 103.41 करोड़ क्रमशः थे और 10.01.2022 तक वास्तविक व्यय रु 79.51 करोड़ था जो कि बीई और आरई से संबंधि क्रमशः 77.20% और 76.88% है। समिति को यह सूचित किया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जैसे कि नए डेस्कटॉप की खरीद, मीडिया अधिकारियों के वेतन बिलों का भुगतान और बेसिल को भुगतान, आदि कम आवंटन और अपर्याप्त धन के कारण 2021-22 के दौरान पूरा नहीं किया जा सका। समिति ने मंत्रालय द्वारा उद्धृत 'कम आवंटन' का कारण असंगत पाया क्योंकि आरई स्तर पर राशि वास्तव में बीई स्तर पर आवंटित राशि से अधिक थी। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय उपरोक्त समस्याओं के वास्तविक कारणों से अवगत कराए और पीआईबी में मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान करे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

पीआईबी को ब.प्रा. 2021-22 में ''कार्यालय व्यय'' शीर्ष मद के तहत 20.62 करोड़ रुपए की तुलना में सं.प्रा. 2021-22 में ''कार्यालय व्यय'' शीर्ष मद के तहत 15.30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। शीर्ष मद 'कार्यालय व्यय' के तहत संशोधित प्राक्कलन 2021-22 में 5.32 करोड़ रुपए (20.62 करोड़ रुपए - 15.30 करोड़ रुपए) के कम आवंटन के कारण, पीआईबी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था:-

(i) पीआईबी मुख्यालय में विंडो 7 डेस्कटॉप के बहुत पुराने और अप्रचलित वर्जन को बदलने के लिए नए डेस्कटॉप की खरीद।,

(ii) बेसिल के माध्यम से किराए पर लिए गए सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव्स और अन्य एचआर सपोर्ट के लिए लंबित वेतन बिलों का भुगतान करना और

(iii) एनएमसी में वीडियो वॉल को बदलने के लिए 1.64 करोड़ रुपए के बेसिल को लंबित बिल का भुगतान करना क्योंकि इन कार्यकलापों के लिए व्यय शीर्ष मद "कार्यालय व्यय" से ही वहन किया जाना था।

हालांकि, बाद में पीआईबी को अंतिम अनुदान 2021-22 में इस मद के तहत 18.22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बेसिल के माध्यम से किराए पर लिए गए सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव्स और अन्य एचआर स्पोर्ट के लंबित बिलों और एनएमसी में वीडियो वॉल को बदलने के लिए लंबित बिलों का बेसिल को भुगतान (1.64 करोड़ रुपये की धनराशि) वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक कर दिया गया था।

डेस्कटॉप की खरीद के संबंध में, इन्हें चालू वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 के दौरान खरीदा जा रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

(सिफारिश क्रम संख्या 6)

समिति नोट करती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23.12.2020 को चार फिल्म मीडिया इकाइयों यानी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएफएसआई), फिल्म प्रभाग (एफडी), भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) और फिल्म महोत्सव निदेशालय (डीएफएफ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के साथ एनएफडीसी के विलय को अपनी मंजूरी दे दी थी एवं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एमओएए) और इस विलय गतिविधि का विस्तार करके 2 साल की समयावधि यानी दिसंबर, 2022 के भीतर पूरा किया जाना था। समिति को यह बताया गया है कि उपर्युक्त विलय फिल्मों की सामग्री के प्रचार, उत्पादन और संरक्षण के जनादेश को पूरा करने में सामंजस्य और दक्षता सुनिश्चित करेगा। सभी संबंधित मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे उपायों के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि इसे डीओपीटी नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा। समिति यह जानकर आश्वस्त है कि भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को छोड़कर कोई भी फिल्म इकाई बंद नहीं की जाएगी और बाल फिल्मों का निर्माण अब एनएफडीसी द्वारा किया जाएगा। समिति को उम्मीद है कि एक प्रबंधन के तहत फिल्म मीडिया इकाइयों की नियुक्ति के साथ, फिल्म सामग्री का प्रचार, उत्पादन और संरक्षण तेजी से और निर्बाध मुक्त होगा जिससे विभिन्न गतिविधियों के बीच तालमेल होगा,जिससे

मौजूदा बुनियादी ढांचे और जनशक्ति का बेहतर उपयोग हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी कर्मचारियों को पीएसयू में विलय करना हमेशा एक मुद्दा रहा है, समिति ने मंत्रालय को विलय होने से पहले संगठन में विभिन्न सेवाओं, संवर्गों, वेतनमानों आदि के सभी मुद्दों को सावधानीपूर्वक समाधान करने की सिफारिश की है। समिति यह भी चाहती है कि उन्हें उन गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाए जो एनएफडीसी विलय के बाद कर रही है कि किस तरह की फिल्मों को समर्थन और वित्त मिलेगा, फिल्म चयन के लिए नीति और मानदंड में बदलाव आदि। समिति मंत्रालय को यह भी सिफारिश करती है कि "फिल्म मीडिया इकाइयों (एनएफडीसी, सीएफएसआई, फिल्म डिवीजन, एनएफएआई और डीएफएफ) के युक्तिसंगत/बंद/विलय और स्वायत्त निकायों (एफटीटीआई, एसआरएफटीआई) की समीक्षा के मामले पर श्री बिमल जुल्का की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विलय की प्रक्रिया की जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23.12.2020 को आयोजित अपनी बैठक में चार फिल्म मीडिया यूनिटों, अर्थात फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) लिमिटेड के साथ विलय को एनएफडीसी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एमओएए) का विस्तार करते हुए मंजूरी दे दी है, जो अब तक उनके द्वारा किए गए सभी कार्यकलापों को अंजाम देगा और सभी परिणामी कार्रवाई करेगा जिसमें डीएफएफ, फिल्म प्रभाग, एनएफएआई और सीएफएसआई को बंद करना शामिल है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के विभिन्न नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के तहत मौजूदा प्रावधानों का कर्मचारियों की पुनर्नियोजन के लिए मानव संसाधन प्रबंधन कार्यवाही में अनुपालन किया जाएगा। एनएफडीसी में विलय की जाने वाली चार फिल्म मीडिया यूनिटों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीओपीटी के दिशानिर्देशों और नियमों तथा विनियमों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। देश में अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार की विभिन्न योजनाएं फिल्मी सामग्री के निर्माण, संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करती रहेंगी। इस विलय के बाद सभी चार फिल्म फिल्म मीडिया यूनिटों का कार्य एनएफडीसी द्वारा किया जाएगा। इस विलय की प्रक्रिया के समय चार मीडिया यूनिटों के युक्तिकरण/बंद/विलय (एनएफडीसी**,** सीएफएसआई**,** फिल्म प्रभाग**,** एनएफएआई और डीएफएफ) और स्वायत्त निकायों (एफटीआईआई**,** एसआरएफटीआई और सीएफएसआई) की समीक्षा के मामले पर श्री विमल जुल्का की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के लिए समिति की सिफारिश विधिवत नोट की जाती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

(सिफारिश क्रम संख्या 7)

समिति ने नोट करती कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम), को 2014 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा रु 597.41 करोड़ से, भारत की फिल्म विरासत को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2020-21 से युक्तिकरण के कारण, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) योजना को विकास संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार (डीसीडीएफसी) योजना के साथ मिला दिया गया है। नई योजना स्कीम मंत्रालय के फिल्म विंग के तहत एनएफएआई के साथ-साथ अन्य मीडिया इकाइयों के पास उपलब्ध फिल्मों के डिजिटलीकरण । बहाली का ख्याल रखती है। योजना स्कीम एनएफएआई, पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। फिल्मों के भंडारण और उनके संरक्षण के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया है कि हालिया ईएफसी में, पूरी योजना लंबित थी लेकिन फिल्मों का डिजिटलीकरण चल रहा है और लगभग 1000 फिल्मों का डिजिटलीकरण

किया जा चुका है। इस ईएफसी में डिजिटाइजेशन और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं और तिजोरियों का निर्माण चल रहा है। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि लगभग 4000 या 5000 फिल्मों की पाइपलाइन है और उनमें से कुछ को चुनिंदा रूप से बहाल किया जाएगा क्योंकि रील पर उन फिल्मों की गुणवत्ता समय के साथ खराब हो गई है। तो, उन्हें पुनर्स्थापित किया जाएगा और फिर डिजिटल मोड में रखा जाएगा और साथ ही फिर से फिल्मों में परिवर्तित किया जाएगा और उन फिल्मों को संग्रहीत किया जाएगा, क्योंकि डिजिटल प्रारूप हर बार तीन या चार साल में बदलते रहते हैं। समिति को यह समझने के लिए बताया जाता है कि अगर कोई फिल्म ठीक से रखी और संग्रहीत की जाती है, तो यह लगभग 300 से 400 साल तक चल चूंकि बजट पहले ही मंजूर किया जा चुका है और ठेके जल्द ही दिए जाने हैं, समिति मंत्रालय को समृद्ध फिल्म विरासत के डिजिटलीकरण और बहाली की गति बढ़ाने की सिफारिश करती है। समिति चाहती है कि मंत्रालय उन्हें योजना के तहत वास्तविक उपयोग, बहाल की गई फिल्मों की संख्या और बहाली और संरक्षण में आने वाली बाधाओं/चुनौतियों के बारे में सूचित करे। समिति ने मंत्रालय से श्री सत्यजीत रे का दस फिल्मों को उनके आश्वासन के अनुसार बहाल करने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने की भी सिफारिश की।

<u>सरकार का उत्तर</u>

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के शुरू होने के बाद से 120.09 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि खर्च की गई है, जिसमें से 26.61 करोड़ रुपये (लगभग) वित्त वर्ष 2020-21 में खर्च किए गए और 44.47 करोड़ रुपए (लगभग) वित्तीय वर्ष 2021-22 खर्च किए गए। इसके अलावा, व्यय वित्त समिति/लोक निवेश बोर्ड ने 16.02.2022 को आयोजित अपनी बैठक में, एनएफएचएम को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए 544.82 करोड़ रुपये (लगभग 500 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष सहित) के अनुमानित परिव्यय के साथ जारी रखने की सिफारिश की है जो परियोजना मोड में एनएफएचएम के पुनर्गठन के अधीन है।

इस बीच, चार फिल्म मीडिया यूनिटों, अर्थात् फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) लिमिटेड के साथ विलय करने के निर्णय के परिणामस्वरूप एनएफएआई का संपूर्ण अधिदेश 1 अप्रैल, 2022 से परिरक्षण कार्यक्षेत्र के तहत एनएफडीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। फिल्म मीडिया यूनिटों के विलय के परिणामस्वरूप अम्ब्रेला संगठन, एनएफडीसी को फिल्मी सामग्री का संवर्धन, निर्माण और संरक्षण - सभी एक प्रबंधन के तहत विशिष्ट रूप से रखा जाएगा। एनएफडीसी एनएफएचएम परियोजना के तहत परिकल्पित सभी गतिविधियों को जारी रखेगा और पूरा करेगा।

एनएफएचएम परियोजना के तहत डिजिटलीकरण, रेस्टोरेशन और संरक्षण कार्यकलापों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क. फिल्मों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण के काम के लिए एनएफएआई परिसर में 4 पिक्चर स्कैनर और 2 साउंड स्कैनर सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों को जुटाया गया और तैनात किया गया। डिजिटलकरण निविदा के तहत कुल 5113 फिल्में (2345 फीचर फिल्म और 2768 लघु फिल्में) फिल्म क्लीनिंग और स्कैनिंग/डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरेंगी। आज की तारीख के अनुसार, लगभग 1431 फिल्म शीर्षकों (676 फीचर फिल्में और 755 लघु फिल्में) को डिजीटल/स्कैन किया गया है डिजिटलीकरण परियोजना में स्कैनिंग और गुणवत्ता जांच (क्यूसी) दो प्रमुख घटक हैं। परियोजना निगरानी नियमन के

भाग के रूप में, परियोजना की प्रगति का आकलन करने और मुद्दों और चुनौतियों को समझने के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये समीक्षा बैठकें त्वरित निर्णय लेने और परियोजना की प्रगति में तेजी लाने में मदद करती हैं। परियोजना की निरंतर समीक्षा के आधार पर, स्कैन किए गए मिनटों की संख्या के संबंध में गुणवत्ता जांच के आउटपुट में पिछले 3 महीनों में वृद्धि हुई है, जिसने सीधे अंतिम वितरण के उत्पादन की वृद्धि में मदद की है। विक्रेता को यह भी निर्देश दिया गया है कि रीस्केन की संख्या कम से कम रखते हुए दैनिक स्कैनिंग की गति बढ़ाई जाए। परियोजना की क्यूसी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक ऑडियो क्यूसी लैब जैसी सहायक अवसंरचना तैयार है और क्यूसी प्रक्रिया के लिए टीम द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। परियोजना की समय-सीमा को प्राप्त करने के लिए, क्यूसी टीम में और क्यूसी प्रक्रिया के बाद संसाधनों की संख्या बढ़ाने की भी योजना बनाई जा रही है। उठाए गए इन कदमों से डिजिटलीकरण परियोजना की गति में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

ख. 'एनएफएआई में फिल्म सामग्री के निवारक संरक्षण' के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को हाल ही में मार्च 2021 में नियुक्त किया गया है। इसमें लगभग 60,557 फिल्म रीलों को निवारक संरक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें फिल्म रीलों का मूल्यांकन, क्षय को रोकने, क्षति की मरम्मत आदि शामिल हैं। जिस परियोजना क्षेत्र में काम शुरू होगा वहां आवश्यक सिविल और इलेक्ट्रिकल सुधार किया जा रहा है जो चार महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।

ग. मंत्रालय द्वारा हाल ही में मई 2021 में 'एनएफएआई में फिल्म सामग्री के रेस्टोरेशन के लिए सफल बोलीदाताओं को शामिल करने की मंजूरी दी गई थी। रेस्टोरेशन निविदा के तहत, 2253 फिल्में (1145 फीचर फिल्में और 1108 लघु फिल्में) पिक्चर एंड साउंड रिस्टोरेशन की प्रक्रियाओं से गुजरेंगी। बोलीदाताओं को एक समर्पित सुविधा स्थापित करने के लिए तीन महीने की समय अवधि दी गई है, जिसके बाद फिल्मों की रेस्टोरेशन का काम शुरू हो जाएगा।

एनएफडीसी-एनएफएआई वर्तमान में सत्यजीत रे की प्रतिष्ठित दस फिल्मों की रेस्टोरेशन का कार्य कर रहा है। व्यापक प्रचार के हिस्से के रूप में, सत्यजीत रे क्लासिक्स में से एक, '*प्रतिद्वंदी*' के पुनर्स्थापित संस्करण को कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में कान्स क्लासिक्स सेक्शन के तहत प्रदर्शित किया गया था, जहां मार्चे डू फिल्म में भारत को सम्मान के पहले आधिकारिक देश के रूप में चुना गया था। इसके अतिरिक्त, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 'सोनार केला' और 'हीराक्राजर देश' की स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा, श्री सत्यजीत रे की कुछ फिल्मों को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। सत्यजीत रे की जन्मशती मनाने के भाग के रूप में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत मीडिया यूनिटों ने मुंबई, दिल्ली और पुणे में 2-4 मई, 2022 और 16-18 मई, 2022 तक सत्यजीत रे की पुनर्स्थापित फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित दो फिल्म समारोह आयोजित किए। इन फिल्म समारोहों का आयोजन फिल्म प्रभाग और एनएफडीसी-एनएफएआई द्वारा किया गया था। कान्स में हालिया उपलब्धि के कारण, ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने भी स्क्रीनिंग के लिए सत्यजीत रे क्लासिक्स की पुर्नस्थापित प्रतियां साझा करने के लिए एनएफएआई से संपर्क किया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

(सिफारिश क्रम संख्या 8)

समिति ने नोट किया है कि 2022-23 के लिए मंत्रालय के फिल्म क्षेत्र के तहत एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र ई-सिनेप्रमान सॉफ्टवेयर का संवर्धन, क्लाउड प्रबंधन प्रणाली, मोबाइल ऐप का एकीकरण और सीबीएफसी वेबसाइट का सुधार है। समिति नोट करती है कि 2009 से पहले मैनुअल ऑपरेशन से सीबीएफसी ऑटोमेशन की ओर उत्तरोत्तर

आगे बढ़ा है। सीबीएफसी 'ई-सिनेप्रमान' की ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली 1 अप्रैल, 2017 को लागू हुई और इसका उद्देश्य पारदर्शिता और व्यवसाय करना आसान बनाना है। वेबसाइट और ई-सिनेप्रमन प्रक्रिया में सुधार पहले ही पूरा हो चुका है। समिति आगे नोट करती है कि कुछ सीबीएफसी को स्थान दिया गया है और मीडिया इकाइयों के विलय के बाद, फिल्म डिवीजन का स्थान और परिसर के भीतर अन्य स्थान सीबीएफसी के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, बजट के मोर्चे पर, समिति ने नोट किया कि 2021-22 के दौरान वास्तविक व्यय रु. 8.44 करोड़ जो कि 11.65 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान का 72.45% है। समिति ने सीबीएफसी के तहत निधियों के कम उपयोग पर नाखुशी व्यक्त करते हुए मंत्रालय को 2022-23 के दौरान पूर्ण उपयोग के लिए प्रयास करने की सिफारिश की। इसके अलावा, समिति यह भी चाहती है कि फिल्म प्रमाणपत्र अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) के उन्मूलन के बाद प्राप्त मामलों/अपीलों के साथ-साथ पिछले 3 वर्षों में चुनौती दिए गए फिल्म प्रमाणन की संख्या, जिसमें फिल्म प्रमाणपत्र अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) के उन्मूलन के बाद प्राप्त मामलों/अपीलों प्राप्त हुए हैं, के बारे में अवगत कराया जाना है। समिति को यह जानने में भी दिलचस्पी होगी कि एफसीएटी के उन्मूलन ने सीबीएफसी के कामकाज को कैसे प्रभावित किया है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वर्ष 2021-22 के दौरान 31.03.2022 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा किया गया वास्तविक व्यय 10.21 करोड़ रुपये रहा है, जो 11.47 करोड़ रुपये के अंतिम अनुदान आवंटन का 89% है। मंत्रालय वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा।

विगत 3 वर्षों के उपलब्ध अभिलेखों से, आवेदकों ने 11 नाटकीय दीर्घ फिल्मों के संबंध में [2019-09 फिल्में; 2020 - 02 फिल्में; 2021 (एफसीएटी के उन्मूलन तक) - शून्य] सीबीएफसी के निर्णयों के खिलाफ एफसीएटी से संपर्क किया है। एफसीएटी की समाप्ति के बाद कोई मामला/अपील प्राप्त नहीं हुआ है।

चलचित्र अधिनियम, 1952 और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के तहत, सीबीएफसी के पास फिल्मी बिरादरी की चिंताओं से निपटने के लिए एक मजबूत और कुशल तंत्र है। सीबीएफसी के पास पुनरीक्षण समितियों के रूप में प्रतिनिधित्व और अपील करने के रूप में एक अच्छी तरह से स्थापित आंतरिक तंत्र है, जिसमें सरकार से बाहर विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके सदस्य हैं। सीबीएफसी की जांच और समीक्षा समितियां धैर्यपूर्वक सुनने के बाद और एक सहयोगी प्रयास के माध्यम से फिल्म निर्माताओं की शिकायतों का समाधान करती हैं। अतएव, एफसीएटी के उन्मूलन से सीबीएफसी के कामकाज पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रमाणन के संबंध में आवेदकों की किसी भी नाराजगी या शिकायतों को फिल्मों को पुनरीक्षण समितियों को संदर्भित करके पर्याप्त रूप से निपटाया जा रहा है। यदि कोई आवेदक एक पुनरीक्षण समिति के निर्णय से व्यथित है, तो फिल्म को एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दूसरी पुनरीक्षण समिति को अनुशंसित किया जाता है। अप्रैल, 2021 में एफसीएटी की समाप्ति के बाद से, किसी भी आवेदक ने सीबीएफसी के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं किया है। प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित किया गया है और आवेदकों ने आम तौर पर पुनरीक्षण समितियों के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त की है जो उनकी फिल्मों को समयबद्ध और उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखती हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

(सिफारिश क्रम संख्या 10)

समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष **2019-20** से, प्रसार भारती की तीन योजनाओं का विलय कर दिया गया है और 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट,बीआईएनडी)' नामक एकल लाइन बजट प्रविष्टि तैयार की गई है। समिति चिंता के साथ इस बात को नोट करती है कि वर्ष **2021-22** के दौरान **316** करोड़ रुपये (ब.अ.) और **175** करोड़ रुपये (सं.अ.) के बीआईएनडी के लिए बजटीय आवंटन हेतु **14.02.2022** तक वास्तविक व्यय **122.41** करोड़ रुपये रहा है जो कि ब.अ. आवंटन का **38.74%** और संशोधित अनुमान के संबंध में आवंटन का **69.95%** है।इसके परिणामस्वरूप प्रसार भारती की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं/उप-योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे दाहोद (गुजरात) में आकाशवाणी परियोजना, **5** किलोवाट मोबाइल एफएम ट्रांसमीटर, **100** स्थानों के लिए **100** वाट एफएम परियोजनाएं, **1.2** लाख डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) रिसीव सेटों की खरीद, कंप्रेशन चैन का उन्नयन, **7** दूरदर्शन अर्थ स्टेशन पैराबोलिक डिश एंटीना (पीडीए) और **11** निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) प्रणाली तथा गंगटोक में टावर सुदृढ़ीकरण के कार्य में कमी आई है। समिति इस बात को समझती है कि उपरोक्त परियोजनाएं कोविड-**19** महामारी की स्थिति के कारण प्रभावित हुई थीं, जिससे वित्त वर्ष **2021-22** में कम खर्च हुआ। उपरोक्त में उद्धृत अन्य कारकों में श्रमिकों की कमी, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, प्रारूप विनिर्देशों पर फीडबैक प्राप्त करने में विलंब, **100** स्थानों पर **100** वाट एफएम परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूपीसी लाइसेंस/मंजूरी प्राप्त करने में विलंब, गुजरात में दाहोद में आकाशवाणी परियोजना के लिए स्थल की अनुपलब्धता, **5** किलोवाट के मोबाइल एफएम ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए निविदा की अपर्याप्त भागीदारी आदि शामिल हैं। यद्यपि कोविड महामारी के कारण लक्ष्यों में कमी पर अच्छी तरह से विचार किया गया है, समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को कुछ अन्य कारणों पर ध्यान देना चाहिए था। प्रसार भारती के प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क का डिजिटलीकरण होने के कारण बीआईएनडी योजना का मुख्य उद्देश्य है तथा समिति इस बात को महसूस करती है कि इन परियोजनाओं को **2022-23** के दौरान प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए जो केवल प्रसार भारती को उनके संचालन में मदद करेगा। अतः, समिति सिफारिश करती है कि उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाएं ताकि ये परियोजनाएं प्रभावित न हों और निधियों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। समिति को बीआईएनडी स्कीम के अंतर्गत विभिन्न घटकों के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम बीआईएनडी के तहत बजट अनुमान 2021-22 और संशोधित अनुमान 2012-22 में बजट आवंटन क्रमशः 316 करोड़ रुपये और 178.15 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 के लिए 3.15 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि सहित) था, जिसके विरुद्ध 161.60 करोड़ रुपये (अनंतिम) खर्च किए गए हैं जो कि बजट अनुमान 2021-22 का 51.14% और संशोधित अनुमान 2021-22 का 90.71% है।

अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बीआईएनडी के तहत ब.प्रा. 2022-23 में 315 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

प्रसार भारती द्वारा बीआईएनडी के तहत परियोजनाओं को समय पर और आवंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है:

1. **दाहोद में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना:** बीआईएनडी स्कीम के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति की तीसरी बैठक में परियोजना को मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए बहुत अधिक लागत और जो एसएफसी निधि प्रावधान से परे है, के कारण अब तक स्थल का अधिग्रहण नहीं

किया जा सका है। सीईओ, प्रसार भारती ने भी स्थल के लिए टोकन दर पर अपर सचिव (गुजरात राज्य सरकार) को एक पत्र लिखा था एडीजी (डब्ल्यूजेड) के कार्यालय द्वारा गुजरात राज्य सरकार से मामले की जांच की जा रही है। दाहोद में 10 किलोवाट एफएम परियोजना स्थल की अनुपलब्धता के कारण विलंबित हो गई है।

2. **एलओसी के साथ 5 किलोवाट एफएम मोबाइल ट्रांसमीटर का प्रावधान:** बीआईएनडी स्कीम के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति की चौथी बैठक में परियोजना को मंजूरी दी गई थी। 5 किलोवाट मोबाइल एफएम ट्रांसमीटर की खरीद के लिए निविदा की अपर्याप्त भागीदारी थी। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, एनआईटी जारी करने से पहले तकनीकी विशिष्टताओं पर फीडबैक और इनपुट प्राप्त करने के लिए एफएम ट्रांसमीटर के सभी संभावित बोलीदाताओं के साथ एफएम डिजाइन अनुभाग द्वारा एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। संभावित बोलीदाताओं के फीडबैक/इनपुट को तकनीकी विशिष्टताओं में शामिल किया जा रहा है। अब, संभावित बोलीदाताओं ने एआईआर की आवश्यकता को समझ लिया है और आगामी निविदा में अधिक बोलीदाताओं के भाग लेने की संभावना है। शीघ्र ही निविदा पुनः आमंत्रित की जायेगी।
3. **100 स्थानों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना:** मध्यस्थता के कारण 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर की खरीद में देरी हुई थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय में हल किया गया था। उसके बाद, डब्ल्यूपीसी लाइसेंसों में विलंब के कारण ट्रांसमीटर की आपूर्ति में और देरी हुई। 50 की संख्या में 100वाट एफएम का पहला लॉट ट्रांसमीटर प्राप्त हो चुका है। और स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डायवर्सन द्वारा 4 स्थानों पर 100वाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं और चालू किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 96 स्थानों पर 100वाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने का लक्ष्य है।
4. **डीटीटी के लिए गंगटोक में टावर सुदृढ़ीकरण** : कार्य प्रगति पर है।
5. **11 स्थानों पर भू-स्टेशन का आधुनिकीकरण:** ऑडियो वीडियो मॉनिटर और ओएफसी को छोड़कर सभी उपकरण पिछले वर्ष खरीदे गए हैं। ऑडियो वीडियो मॉनिटर सिस्टम और ओएफसी लिंक की आपूर्ति की गई है। अर्थ स्टेशन तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, भोपाल, अहमदाबाद, शिमला और जम्मू को अपग्रेड किया गया और मौजूदा भू-स्टेशन की सभी सेवाओं को अपग्रेडेड भू-स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।
6. **6 स्थानों पर अपलिंक एंटीना प्रणाली का एसआईटीसी और यूपीएस सिस्टम** : पीडीए की स्थापना प्रगति पर है। सभी यूपीएस सिस्टम स्थानों पर पहुंच गए हैं। यूपीएस की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
7. **चंडीगढ़ में अपलिंक पीडीए का प्रतिस्थापन:** पीडीए की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
8. **2 एम/ई डिजिटल प्रोडक्शन स्विचर (4 सेट), एनालॉग और डिजिटल पेरिफेरल्स (9 सेट) और एचडी ग्राफिक्स और सीजी सिस्टम (18 सेट) की खरीद: 2 एम/ई डिजिटल** प्रोडक्शन स्विचर के लिए खरीद आदेश जारी किया गया है । संबंधित केंद्रों को एनालॉग और डिजिटल पेरिफेरल्स और एचडी ग्राफिक्स और सीजी सिस्टम की आपूर्ति की गई है।
9. **देश के दूरस्थ, आदिवासी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,20,000 डीटीएच रिसीव सेटों की खरीदः** टेंडर फिर से रद्द कर दिया गया। एफटीए एसटीबी के लिए तकनीकी विनिर्देश को अंतिम रूप दिया गया है और खरीद सेल को मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है। नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है।
10. **भू-स्टेशन पीतमपुरा के कंप्रेशन सिस्टम, निगरानी प्रणाली और बिजली आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन का एसआईटीसी:** तकनीकी बोलियां खोली गई हैं और तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है।
11. **समाचार मुख्यालय, दिल्ली में स्वचालित समाचार निर्माण प्रणाली का एसआईटीसी:** उपकरणों का आंशिक निरीक्षण पूरा हो गया है।
12. **डीडी न्यूज और सीपीसी में स्टूडियो का एचडी में उन्नयन:** पिछले वर्ष में खरीदे गए उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल इंटरकॉम सिस्टम को छोड़कर सभी उपकरण। डीडी न्यूज मुख्यालय और सीपीसी के सभी चार

स्टूडियो एचडी स्टूडियो में परिवर्तित किए गए हैं। संबंधित केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल इंटरकॉम सिस्टम की आपूर्ति की गई है।

13. **डीडी-इंडिया चैनल का विस्तार:** परियोजना को अतिरिक्त न्यूज रूम क्लाइंट लाइसेंस और वर्क स्टेशन के साथ जोड़ा गया है। खरीद आदेश जारी कर दिया गया है।

14. **रायपुर, रांची और देहरादून के लिए एलटीओ आधारित संग्रह प्रणाली की खरीद:** तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है।

15. **राजौरी में 2 की संख्या में 5 किलोवाट एचपीटी की स्थापना:** स्थल पर ट्रांसमीटर और संबंधित उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इसे स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

16. **डीटीएच टोडापुर में कम्प्रेशन चेन्स और विविध उपकरणों का उन्नयन:** तकनीकी विनिर्देश तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

(सिफारिश क्रम संख्या 11)

समिति चिंता के साथ इस बात को नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 175.95 करोड़ रुपये (ब.अ.) और 124.10 करोड़ रुपये (सं.अ.) के बजटीय आवंटन की तुलना में, दिसंबर, 2021 तक का वास्तविक व्यय 47.97 करोड़ रुपये (यानी ब.अ. का 27.26% और सं.अ. का 38.65%) रहा है। मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन प्रभावित हुआ, जिससे वित्त वर्ष 2021-22 में व्यय कम हुआ। इसके अलावा, महामारी के दौरान कम व्यय के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारक थे जैसे श्रम की कमी, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, परियोजनाओं के विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए संभावित बोलीदाताओं से प्रारूप विनिर्देशों पर फीडबैक प्राप्त करने में देरी, आदि। इसके अतिरिक्त, समिति इस बात पर भी चिंता व्यक्त करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए नियोजित दूरदर्शन की अनुमोदित सतत परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाएं हैं जिनके लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। शेष के लिए स्थिति या तो क्रयादेशों के रूप में होती है/प्रगति पर है/निविदा आमंत्रित की जाती है, आदि के रूप में हैं। एक योजना के लिए समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि जारी की गई निविदाओं को रद्द कर दिया गया है और दूरस्थ, जनजातीय तथा एलडब्ल्यूई क्षेत्रों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में 1,20,000 डीटीएच रिसीव सेटों के प्रापण और वितरण के लिए नई निविदा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अधिकांश प्रसारण उपस्कर और सेवाएं देश में उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए इनका आयात किया जाता है और खरीद में देरी हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रसारण उपस्करों के आयात से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपरिहार्य विलंब हो रहा है, समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को स्वदेशी उपस्करों या वैकल्पिक

उपस्करों/समाधानों की व्यवहार्यता का पता लगाने की आवश्यकता है ताकि विलम्ब से बचा जा सके। जहां तक संभव हो, आयात से बचने/कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

समिति इस बात को नोट कर संतुष्ट है कि चार डीडी चैनलों को 24 घंटे के सेटेलाइट चैनलों नामतः डीडी रेट्रो, डीडी झारखंड, डीडी उत्तराखंड और डीडी छत्तीसगढ़ के रूप में शुरू किया गया है। वास्तव में, आठ दूरदर्शन केन्द्रों ने 24 घंटे सेटेलाइट प्रसारण शुरू किए हैं, जिनमें से पांच पूर्वोत्तर-नामतः अगरतला, आइजोल, इम्फाल, शिलांग और कोहिमा और अन्य तीन पणजी, शिमला और हिसार में हैं। तथापि, कार्यरत 28 डीडी क्षेत्रीय चैनलों में से सभी पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक दूरदर्शन चैनल स्थापित करने की समिति की सिफारिश के बावजूद समिति पाती है कि दो राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास अभी तक अपने राज्यों के लिए अलग चैनल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समिति मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह समिति की सिफारिशों को गंभीरता से ले और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए अलग-अलग चैनल खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार करे ताकि इन क्षेत्रों में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रसार भारती का परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निरंतर प्रयास रहा है। अधिकांश प्रसारण उपकरण स्थानीय रूप से निर्मित नहीं होते हैं। तथापि, टेलीविजन और रेडियो उद्योग के मामले में, उपभोक्ता परिसर उपकरण (सीपीई), जैसे रेडियो और टेलीविजन सेट, डीटीएच सेट टॉप बॉक्स और स्थापना सामग्री घरेलू बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। जहां तक संभव है, स्थानीय स्तर पर निर्मित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रसार भारती ने 09.02.2019 को अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोगों को समर्पित दूरदर्शन केंद्र, ईटानगर से 24x7 "डीडी अरुणप्रभा" चैनल शुरू किया है। इसके अलावा, एक अन्य चैनल, डीडी त्रिपुरा को भी 21.01.2021 से दूरदर्शन केंद्र, अगरतला से 24X7 आधार पर चालू किया गया है।

सिक्किम राज्य में दूरदर्शन केंद्र, गंगटोक को भी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक समाचार-संग्रह (ईएनजी) आधारित फील्ड कवरेज उपकरण, मोबाइल समाचार एकत्र करने के उपकरण (बैकअप) आदि प्रदान करके मजबूत किया गया था ताकि केंद्र लक्षित दर्शकों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीडी अरुणप्रभा और अन्य डीडी चैनलों में सामग्री का योगदान कर सके।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

<u>'डीडी-किसान'</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 12)

समिति यह नोट करती है कि डीडी किसान जो कि एक चौबीस घंटे चलने वाला सेटलाईट चैनल है, 26 मई, 2015 को किसानों और कृषि क्षेत्र को अनन्य तौर पर समर्पित किया गया था। प्रसार भारती द्वारा डीडी किसान

चैनल का एक समर्पित यू ट्यूब चैनल भी चलाया जा रहा है जहां इस चैनल और इसके विभिन्न कार्यक्रमों को विश्व के दर्शक डिजिटल माध्यम से देख सकते हैं। यह चिंता का विषय है कि वर्ष 2021-2022 के दौरान डीडी किसान के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके लिए आवंटित 32.70 करोड़ रूपए की धनराशि में से केवल 9.43 करोड़ रूपए का उपयोग किया गया है और दिसम्बर, 2021 तक 1979 घंटों के लक्षित उत्पादन में से केवल 1567 घंटों के कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। इस चैनल के भारत में किसान और ग्रामीण समुदाय को सेवा प्रदान करने और देश के दूरस्थ भागों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उत्कृष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, समिति इस चैनल के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त न होने पर सख्त आपत्ति व्यक्त करती है और मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वर्ष 2022-2023 के दौरान इसकी पुनरावृत्ति न हो। समिति मंत्रालय से यह सिफारिश भी करती है कि वह इस चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों और डीडी किसान के यू ट्यूब चैनल के बारे में उचित ढंग से विज्ञापन करे जहां दर्शक डीडी किसान चैनल के कार्यक्रमों की पहुंच अधिक से अधिक हो सके। समित यह अपेक्षा करती है कि उसे चैनल की शुरूआत से इसके लिए बनाए गए कार्यक्रमों की संख्या और प्रकार, बजट आवंटन और उपयोग, चैनल की पहुंच या दर्शक आंकड़ा, आदि के ब्यौरे से अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि डीडी समय-समय पर किसान चैनल के कार्यक्रमों का प्रभाव का अध्ययन कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के अंत तक "डीडी किसान" द्वारा भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है। सं.प्रा. 2021-22 में 38.48 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 38.24 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। 2100 घंटे से अधिक के कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया है और 31.03.2022 तक 1979 घंटे का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

डीडी किसान यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम अपलोड किए जा रहे हैं, जिसके वर्तमान में लगभग 0.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कार्यक्रम में क्यूआर कोड भी प्रसारित किया जा रहा है ताकि दर्शक चाहें तो यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम देख सकें। यदि दर्शक कोड को स्कैन करता है, तो यह डीडी किसान यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट पर रीडायरेक्ट करता है।

वर्तमान में, डीडी किसान पर कृषि, पशुपालन, कृषि नवाचार, मौसम पूर्वानुमान, कमोडिटी बाजार और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित 18 कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। बार्क के डेटा के अनुसार, यह सामने आया है कि वर्ष 2021 में "डीडी किसान" चैनल के 160 मिलियन अद्वितीय दर्शक थे।

डीडी किसान का बजट आवंटन और पिछले वर्षों में इसका उपयोग निम्नानुसार है:

डीडी किसान की स्थापना के बाद से आवंटन और व्यय
(पूंजीगत और सामग्री)

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटित बजट	बजट का उपयोग किया गया है
2014-15	26.00	23.11
2015-16	26.25	26.25

2016-17	70.00	66.31
2017-18	59.96	38.95
2018-19	48.85	31.56
2019-20	17.55	16.43
2020-21	19.50	18.73
2021-22	38.48	38.24

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 10 देखें)

(सिफारिश क्रम संख्या 15)

समिति यह नोट करते हुए चिंतित है कि एआईआर और एफएम के अधीन 140.05 करोड़ रूपए (बजट प्राक्कलन) और 54.05 करोड़ रूपए (संशोधित प्राक्कलन) के बजटीय आवंटन की तुलना में, दिसम्बर, 2021 तक वास्तविक व्यय 35.45 करोड़ रूपए रहा है जो बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन का क्रमश: 25.31 प्रतिशत और 65.58 प्रतिशत है। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि 2022-23 तक पूरा किए जाने के लिए लक्षित एआईआर की कई परियोजनाएं वास्तव में पिछली अपूर्ण परियोजनाएं ही हैं जो 2021-22 तक पूरी नहीं की जा सकीं। इनमें से कुछ में शामिल हैं- 100 स्थानों पर 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर, 10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर लगाना, 19 स्थानों पर 100 एम एसएस टावर, कोकराझार में स्टूडियो में सुधार करना और रोहतक में भवन का पुन: निर्माण करना, आदि। आकाशवाणी के अंतर्गत लक्ष्यों की बहुत कम उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इन परियोजनाओं के संबंध में समय पर हस्तक्षेप करे और उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए ट्रांसमीटरों/टावरों की आपूर्ति और संस्थापना तथा स्टूडियो आदि के निर्माण में विलंब के कारकों की जांच करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि आकाशवाणी के सभी स्टेशनों के डिजिटलीकरण के लिए उपयुक्त समयबद्ध-योजना तैयार की जाए और इसका कड़ाई से पालन किया जाए।

इसके अतिरिक्त, एफएम से संबंधित समस्या पर, समिति यह जानकर आश्वस्त है कि किसी भी एफएम स्टेशन को बंद नहीं किया गया है, वास्तव में स्टेशनों में एक या एक से अधिक एफएम सेवाएं थीं जैसे दिल्ली और बेंगलुरु में तीन एफएम फ्रिक्वेंसी हैं, हैदराबाद में आकाशवाणी की दो एफएम फ्रिक्वेंसी हैं। एफएम के अलावा, वे एक या एक से अधिक मध्यम मिडियम वेव भी तेयार कर रहे थे और डीटीएच रेडियो के लिए, वे एक अलग सेवा उत्पन्न कर रहे थे। इस प्रकार, कई स्टेशन पांच से छह रेडियो स्ट्रीम की तैयार कर रहे थे और खर्च कर रहे थे जो कई बार एक जैसी विषय वस्तु की नकल होती थी। इसलिए, मंत्रालय ने इसे सुव्यवस्थित करना शुरू कर दिया ताकि एक स्टेशन पर अलग विषय वस्तु होनी चाहिए और एक ही विषय वस्तु कई स्ट्रीमों पर प्रसारित न किया जाए। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि तिरुवनंतपुरम में केवल एक ही एफएम फ्रीक्वेंसी थी और इसी कारण

वहां समस्या हुई और कार्यक्रम के साथ छेड़छाड़ हुई। हालांकि मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच की जाएगी। इसलिए समिति यह अपेक्षा करती है कि तिरुवनंतपुरम एफएम स्टेशन से संबंधित मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। समिति को आशा है कि मंत्रालय उस क्षेत्र/स्थानीय समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखेगा जहां प्रसारण में इस तरह के बड़े परिवर्तनों की योजना है। इसके अलावा, कतिपय समूहों से प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय लोकप्रिय स्थानीय एफएम स्टेशनों को रिले स्टेशनों में परिवर्तित करने और उनके केंद्रीकृत प्रसारण प्लेटफार्मों में विलय करने की शिकायतों की जांच करे और समिति को इसके बारे में अवगत कराए। समिति मंत्रालय को यह भी सिफारिश करती है कि वह आकाशवाणी/एफएम की विषय-वस्तु में सुधार करे ताकि श्रोताओं की दिलचस्पी बनी रहे और राजस्व अर्जित किया जा सके। उपरोक्त दिशा में परिणाम सहित उपर्युक्त दिशा में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

140.00 करोड़ रुपये (ब.प्रा.) और 60.63 करोड़ रुपये (स.प्रा.) के बजटीय आवंटन के सापेक्ष में 31 मार्च, 2022 तक वास्तविक व्यय 60.21 करोड़ रुपये (स.प्रा.) रहा है जो कि ब.प्रा. का 43% और स.प्रा. का 99.31% है। आकाशवाणी वर्ष 2022-23 में पूरी होने वाली स्वीकृत परियोजनाओं को लागू करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है क्योंकि ये परियोजनाएं 2021-22 में लॉकडाउन और कई अन्य समस्याओं के कारण पूरी नहीं हो पाई हैं।

ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	परियोजनाए	वर्तमान स्थिति
1.	29 जगहों पर स्टूडियो का डिजिटलीकरण	डिजिटल कंसोल को स्टूडियो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा रहा है। जून - 2022 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	100 स्थानों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर	100 स्थानों में से 50 100 वाट एफएम ट्रांसमीटरों का पहला लॉट प्राप्त हो चुका है। शेष 50 100 वाट एफएम मई, 2022 के अंत तक प्राप्त होने की संभावना है। 100 स्थानों में से 4 स्थानों पर ट्रांसमीटरों को चालू कर दिया गया है।
3.	10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर	आदेश दिया गया।
4.	100 एमएसएस टावर का 19 स्थानों पर निर्माण	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5.	कोकराझार में स्टूडियो का नवीनीकरण	कार्य प्रगति पर है।
6.	रोहतक में भवन का पुनर्निर्माण	आकाशवाणी रोहतक में कार्यालय, स्टूडियो और कैप्टिव भू-स्टेशन (सीईएस) को अस्थायी पोर्टा-केबिन में स्थानांतरित कर दिया गया।
7.	ध्वस्त करने के लिए बिल्डिंग को खाली करना	मौजूदा भवन को गिराने के बाद पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा।

प्रसार भारती प्रोग्रामिंग की नकल से बचने और लक्षित दर्शकों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने हेतु आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के फिक्स्ड प्वाइंट चार्ट (एफपीसी) की लगातार समीक्षा कर रहा है। चैनल प्रोग्रामिंग को आवश्यकतानुसार बदल दिया जाता है।

विभिन्न आकाशवाणी ट्रांसमीटरों पर सेवाओं का चयन किया जाता है ताकि कवरेज क्षेत्र में श्रोताओं के लिए सेवाओं की कोई पुनरावृत्ति हो। इसके अलावा, प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क के एफएमआईजेशन का विस्तार कर रहा है। प्रसार भारती का यह निरंतर प्रयास है कि अन्य नए मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सामग्री डाली जाए।

आकाशवाणी के प्राथमिक चैनल मुख्य रूप से लोक सेवा प्रसारण को प्रसारित करने वाले देश के ~91% क्षेत्र को कवर करते हुए मीडियम वेव के माध्यम से उपलब्ध हैं। विभिन्न स्थानों पर बेहतर सुनने का अनुभव लेगें के लिए इन मीडियम वेव सेवाओं एफएम सपोर्ट है। इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती का देश भर में आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटरों का विशाल नेटवर्क है; और बिना पहुंच वाले और सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने की भी प्रक्रिया में है।

आकाशवाणी चैनलों को विभिन्न खंडों में वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक में एक विशिष्ट सामग्री और फ्लेवर है और लक्षित दर्शकों के अनुरूप अलग-अलग फिक्स्ड पॉइंट चार्ट (एफपीसी) पर आधारित प्रोग्रामिंग है। ये मुख्य तौर पर (i) प्राथमिक चैनल (मुख्य रूप से मीडियम वेव पर) - लोक सेवा प्रसारण सामग्री पर केंद्रित (ii) स्थानीय रेडियो स्टेशन (एफएम में) - स्थानीय संस्कृति, भाषाओं/बोलियों और स्थानीय प्रतिभा पर विशेष बल देने के साथ लोक सेवा प्रसारण और व्यावसायिक मनोरंजन का मिश्रण है। (iii) विविध भारती सेवा (वीबीएस) (एफएम में) - फिल्म संगीत और संबंधित उप-शैलियों की सामग्री पर आधारित व्यावसायिक मनोरंजन के लिए प्रदान करता है। (iv) एफएम रेनबो चैनलों में शहर विशिष्ट फोकस के साथ लोक सेवा प्रसारण और इंफोटेनमेंट का विशेष मिश्रण है। उपरोक्त के अलावा उन शहरों में जहां आकाशवाणी कई एफएम फ़्रीक्वेंसीज संचालित करता है या डिजिटल रेडियो डीआरएम सेवाओं का संचालन कर रहा है, तीसरी एफएम फ़्रीक्वेंसी/डिजिटल-सेवा समाचार और समसामयिकी, लाइव स्पोर्ट्स, शास्त्रीय संगीत आदि जैसी विशेष सामग्री के लिए समर्पित है।

यहां आगे यह उल्लेख करना है कि कोई भी रेडियो स्टेशन केवल एक रिले केंद्र में परिवर्तित नहीं होता है; बल्कि सामग्री के दोहराव से बचने और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सेवाओं को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

तिरुवनंतपुरम में आकाशवाणी एफएम चैनल का नाम बदलकर "आकाशवाणी अनंतपुरी विविध भारती मलयालम" कर दिया गया है, जिसमें लोगों की भावना को देखते हुए "अनंतपुरी" शब्द को ऐसे ही रखा गया है। दूसरे, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के नए शुरू किए गए रिले में प्राइम टाइम स्लॉट 0900 बजे से 1000 बजे तक इस चैनल पर हिंदी मनोरंजन सामग्री है, जिसे आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम से प्रारंभ होने वाली मलयालम सामग्री से बदल दिया गया है।

समिति यह नोट करती है कि प्रसारण में सामुदायिक रेडियो तीसरे महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, जो सार्वजनिक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। सामुदायिक रेडियो के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों को आखिरी बार 2018 में संशोधित किया गया था। यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और उपयोग क्रमशः 3.84 करोड़ रुपये, 2.50 करोड़ रुपये और 0.77 करोड़ रुपये रहा है। वास्तविक व्यय का प्रतिशत क्रमश 20.50% और 30.80% है जो बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) से संबंधित है। समिति इस योजना के तहत वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने से अत्यधिक निराश है, विशेषरूप से क्योंकि सामुदायिक रेडियो समाज के वंचित वर्गों के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है और यह स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के बीच स्थानीय मुद्दों से संबंधित चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय 2022-23 के दौरान वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करे। इसके अलावा, जब 2021-22 के दौरान व्यय में विसंगतियों (जो 0.77 करोड़ रुपये था) और 2022-23 के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग के कारणों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस वर्ष के दौरान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले औसत 10 प्रति वर्ष हुआ करता था जबकि इस वर्ष 37 को मंजूरी दी गई है। समिति देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सही संख्या और बकाया आवेदनों के बारे में जानना चाहेगी। समिति सहायक सामुदायिक रेडियो की सहायता करने के संबंध में मैसर्स केपीएमजी की प्रमुख सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की प्रतिक्रिया के बारे में भी अद्यतन होना चाहेगी, जिसमें उन्होंने (एक) नीति पर पुन: विचार करने, (दो) सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना और प्रचालनों के लिए पात्रता की शर्तों पर पुनर्विचार करने (तीन) समेकित कार्यप्रवाह आधारित एकल खिड़की निकासी प्रणाली और (चार) सहायता अनुदान - पूर्वोत्तर क्षेत्र मुद्दे का समाधान करने के लिए कहा है। समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती रही है कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कोई सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं है। इसके अलावा, देश की कई लोकप्रिय भाषाओं और बोलियों को अभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा कवर किया जाना बाकी है, जिनमें कश्मीरी, बोडो, मैथिली, संस्कृत, संथाली, सिंधी और उर्दू जैसी संविधान की कुछ अनुसूचित भाषाएं शामिल हैं। समिति दोहराती है कि मंत्रालय समिति की उपर्युक्त चिंताओं पर विचार करे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन) से संबंधित 5 कार्य बिंदुओं का अवलोकन किया। प्रत्येक कार्रवाई बिंदु पर की गई कार्रवाई नीचे सूचीबद्ध है:

1. वर्ष 2022-23 के दौरान भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की निगरानी के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अलावा, सामुदायिक रेडियो आवेदनो लिए मंजूरी/अनुमोदन देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
2. 20 अप्रैल, 2022 तक, देश में 352 सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) प्रचालनरत हैं। इसके अलावा, सीआरएस की स्थापना के लिए 124 आवेदन हैं, जो मंत्रालय से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

3. मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) दिया को पात्रता शर्तों सहित भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए एक संदर्भ दिया है। इस मामले में ट्राई की प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि मंत्रालय ने संशोधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पुनः लॉन्च किया है, जिसमें एक आवेदक खुद को पंजीकृत कर सकता है और मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रसारण सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जहां तक भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन का संबंध है, मंत्रालय दूरसंचार विभाग (सरलसंचार पोर्टल), गृह मंत्रालय (ई-सहज) और रक्षा मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टलों के साथ पोर्टल को एकीकृत करने के प्रयासों का समन्वय कर रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों (एनईआर) को सहायता अनुदान बढ़ाने के लिए दोतरफा प्रयास किए हैं।
    i. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो लाइसेंस धारकों को तीन महीने के लिए सीआरएस का संचालन करने के पश्चात 12.00 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी; और
    ii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशन सूचीबद्ध उपकरणों के अनुसार सीआरएस उपकरण के नवीनीकरण/प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो अनुदान उपकरण की खरीद का 90% होगा जिसकी सीमा 7.50 लाख रु. तक है,
4. मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए, लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) के परामर्श से विज्ञापन दरों को 4 रुपये प्रति सेकंड की दर से 5.2 रुपये प्रति सेकंड की दर तक संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने ट्राई के दिए संदर्भ में, विज्ञापन के मौजूदा समय को 7 मिनट प्रति घंटे के प्रसारण से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे प्रसारण तक करने की सिफारिशें की हैं।
5. मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामुदायिक रेडियो से वंचित राज्यों और पूर्वोतर राज्यों में और अधिक जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करने की योजना बनाई है। यह संभावित आवेदकों के बीच सामुदायिक रेडियो नीति के बारे में जागरूकता पैदा करेगा, जो जब प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशन में परिवर्तन किया जाता है तो अनुसूचित भाषाओं/बोलियों को शामिल करने में और अधिक मिलेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.**2022

(सिफारिश क्रम संख्या 17)

समिति यह नोट करती है कि प्रसार भारती द्वारा 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान अर्जित राजस्व 1000.42 करोड़ रुपये है, जबकि परिचालन व्यय 848.83 करोड़ रुपये रहा है। समिति वर्ष 2021-22 के दौरान जीबीएस आवंटन और बढ़ाए गए आईईबीआर के संबंध में प्रसार भारती द्वारा प्राप्त की गई आत्मनिर्भरता के स्तर की सराहना करती है और इस तथ्य पर संतोष व्यक्त करती है कि प्रसार भारती द्वारा आईईबीआर से अपने परिचालन खर्चों की पूर्ति की जा रही है और इसमें कुछ अधिशेष भी है। इन अधिशेष आईईबीआर को देयताओं के निर्वहन के लिए प्रसार भारती के धन निवेश नियमों के अनुसार सावधि जमाओं में निवेश किया गया है। समिति ने 2021-22 के दौरान आईईबीआर के तहत राजस्व अर्जित करने के प्रसार भारती के प्रयासों की सराहना करते हुए, मंत्रालय को वर्ष 2022-23 के दौरान आईईबीआर उत्पन्न करने के लिए अपनी विशिष्ट कार्य योजनाओं को

सावधानीपूर्वक लागू करने के लिए आत्मसंतुष्ट न होने और अपनी विशिष्ट कार्य योजनाओं को लागू न करने की सिफारिश की है। समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय राजस्व सृजित करने के लिए नवोन्मेषी तरीकों जैसे स्लॉट बिक्री/किराया नीति को लागू करना, ओटीटी, यूट्यूब चैनलों, न्यूजोनएयर ऐप पर अधिक से अधिक विषय वस्तओं की प्रस्तुति करना, अनन्य सीधे प्रसारण से राजस्व सृजन के लिए नीतियों में सुधार करना, विपणन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना आदि का पता लगाए। इस संबंध में, समिति मैसर्स केपीएमजी द्वारा की गई इस सिफारिश का समर्थन करती है कि संबंधित मीडिया इकाइयों के पास उपलब्ध सामग्री को प्रसारित करने के लिए मौजूदा ओटीटी प्लेटफार्मों/चैनलों के साथ समझौते की आवश्यकता है। चूंकि डिजिटल दुनिया में विषय वस्तु महत्वपूर्ण है, इसलिए समिति सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों से सहमत है कि प्रसार भारती की निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत विषय वस्तुओं की प्रस्तुति पर खर्च किया जाना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय डीडी और एआईआर दोनों के संबंध में कार्यक्रमों की विषय-वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करे। समिति को इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक उपायों से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

प्रसार भारती इसके विभिन्न आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनलों पर सामग्री की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य कर रहा है। तदनुसार, सामग्री खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रसार भारती बोर्ड (पीबीबी) द्वारा कई नई नीतियों को मंजूरी दी गई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- डीएपी (डायरेक्ट असाइनमेंट प्रोसेस) के तहत कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।
- लाइसेंस प्राप्त रेडी-मेड श्रव्य-दृश्य सामग्री के अधिग्रहण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।
- निश्चित लाइसेंस शुल्क- 2021 पर प्रसार भारती प्लेटफॉर्मों के लिए फीचर फिल्मों की खरीद हेतु नीति

इसके अलावा, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, प्रसार भारती ने एक घंटे के स्लॉट के लिए 75 एपिसोडों की दो विशेष परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाई है। विवरण इस प्रकार हैं:

- "विस्मृत वीर" को सम्मानित किया जा चुका है और एपिसोड का निर्माण किया जा रहा है।
- "भारत की स्वतंत्रता के बाद की उपलब्धियां" प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी और डीडी पर स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव कई अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए "#AIRnxt" नामक एक अनोखे युवा कार्यक्रम की योजना बनाई गई है और 28.11.2021 से युवाओं से जुड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

(सिफारिश क्रम संख्या 18)

समिति यह नोट करती है कि प्रसार भारती में वर्तमान रिक्तियां 25,188 हैं, जिसमें दूरदर्शन के अंतर्गत यह 9,869 है और आकाशवाणी में यह 15,319 है। डीएफजी (2021-22) की जांच के दौरान मंत्रालय ने सूचित किया

था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में रिक्तियां क्रमश: 10,247 और 12,086 हैं। समिति इस तथ्य को गंभीरता से लेती है कि इन रिक्तियों को शीघ्रता से भरने हेतु समिति द्वारा बार-बार सिफारिश किए जाने के बावजूद रिक्तियों को कम करने की बजाय इसमें 2,855 की और वृद्धि हुई है। इन कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने सूचित किया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में रिक्तियों को भरने के लिए 01.07.2020 को गठित प्रसार भारती भर्ती बोर्ड कार्यरत् हो गया है और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनशक्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्थिति के रूप में जनशक्ति लेखापरीक्षा की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेने के बाद अन्य पदों पर सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों को भरने का कार्य शुरू किया जाएगा, मंत्रालय ने सूचित किया है कि रिपोर्ट में कुल 115 कार्रवाई योग्य सिफारिशें हैं जिनमें से 83 को स्वीकार कर लिया गया है और उन पर प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र के अनुरुप कार्य किया गया है। 05 सिफारिशों को उनके सांविधिक निहितार्थों के कारण सरकार के अधिकार क्षेत्र में चिन्हित किया गया है और शेष सिफारिशों पर कोई कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया है कि जनशक्ति लेखापरीक्षा की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद अन्य पदों पर सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों को भरने का कार्य शुरू किया जाएगा, जो यह दर्शाता है कि रिक्तियों को निकट भविष्य में भरे जाने की संभावना नहीं है क्योंकि जनशक्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं गई है। चूंकि भर्ती को जनशक्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिणाम से जोड़ा गया है, इसलिए मंत्रालय को रिपोर्ट के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की सिफारिशों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, विशेषरूप से भर्ती से संबंधित सिफारिशों का विश्लेषण करने और एक समय-सीमा तय करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा। रिक्तियों को भरने के संबंध में मंत्रालय के नियमित स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, समिति दृढ़ता से मंत्रालय को यह आग्रह करती है कि इसमें और विलम्ब न करे और प्रसार भारती में रिक्तियों को भरने के लिए ठोस उपाय करे ताकि पर्याप्त जनशक्ति की कमी के कारण संगठन और इसकी दक्षता को नुकसान न हो। मंत्रालय मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी के साथ-साथ सैम पित्रोदा समिति के प्रतिवेदन पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के नवीनतम ब्यौरे से भी अवगत करवाया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 12.02.2020 को अधिसूचित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) स्थापन भर्ती बोर्ड नियम, 2020 के अनुसरण में 01.07.2020 को प्रसार भर्ती बोर्ड (पीबीआरबी) का गठन किया गया है ताकि दूरदर्शन (डीडी) और आकाशवाणी (एआईआर) में भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पद के वेतनमान से कम वेतमान वाले पदों के लिए सीधी भर्ती/विभागीय प्रतियोगी परीक्षा/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की जा सके। यह भर्ती बोर्ड (पीबीआरबी) कार्यशील हो गया है और अब तक दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

इसके अलावा, प्रसार भारती में आधुनिक प्रसारण प्रौद्योगिकियों, नवीनतम उत्पादन तकनीकों और वैश्विक उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर आकाशवाणी और डीडी में जनशक्ति की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए प्रसार भारती द्वारा मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी के माध्यम से एक व्यापक जनशक्ति लेखापरीक्षा (मैनपावर ऑडिट) की गई है।

जनशक्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कुल 115 कार्रवाई योग्य सिफारिशें हैं, जिनमें से 83 को स्वीकार कर लिया गया है और प्रसार भारती के दायरे में उन पर कार्रवाई की गई है। 5 सिफारिशों की पहचान उनके वैधानिक निहितार्थों के कारण सरकार के दायरे में की गई है तथा शेष सिफारिशों पर, कार्यान्वयन की जटिलता के कारण इस समय कोई कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया गया है।

जनशक्ति लेखापरीक्षा सिफारिशों में अप्रचलित प्रौद्योगिकियों, स्वचालन, आईटी सक्षमता, और गैर-प्रमुख कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग पर विचार करते हुए संशोधित जनशक्ति संख्या की परिकल्पना की गई है। जनशक्ति लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसित संशोधित जनशक्ति मॉडल ने निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया है:

क. एफटीई संचालित अनुबंधों द्वारा तृतीय पक्ष को गैर-प्रमुख इंजीनियरिंग कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग ।

ख. ई-ऑफिस जैसे ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म द्वारा ड्राइवर, सुरक्षा, सहायक जैसी प्रमुख गैर-प्रमुख प्रशासनिक कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग।

ग. प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तन के अनुरूप प्रसार भारती द्वारा आवश्यक नई भूमिकाओं के लिए अनुबंध पर विशेषज्ञों की भर्ती।

घ. पूर्णकालिक और संविदात्मक जनशक्ति का प्रभावी मिश्रण तैयार करना।

नई प्रसारण प्रौद्योगिकियों के उद्भव और आधुनिकीकरण के कारण कई मौजूदा भूमिकाएं बेमानी हो गई हैं। सभी स्टेशनों के लिए संशोधित स्टाफिंग आवश्यकताओं को उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसा कि जनशक्ति लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसित किया गया था। रिक्ति की स्थिति पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है।

जनशक्ति लेखापरीक्षा की सिफारिशों के अनुसार, विशेष प्रसारण कौशल की आवश्यकता वाली सभी भूमिकाएं, जहां कौशल अप्रचलन की दर अधिक है और जहां कौशल बाजार संचालित हैं, को प्राथमिक रूप से संविदात्मक होना चाहिए। ऐसी भूमिकाएँ जहाँ निष्पादित किए गए उत्तरदायित्व/कर्तव्य भारत सरकार के नियमों द्वारा कड़ाई से शासित होते हैं जैसे सामान्य वित्तीय नियम, सीसीएस/सीसीए आचरण नियम आदि, उन्हें मुख्य रूप से आन्तरिक व्यवस्था से किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, प्रसार भारती बोर्ड ने संविदात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनशक्ति लेखा परीक्षा की सिफारिशों के अनुरूप स्टेशनों से विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू प्रसारण के लिए नई प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए अपनी संविदात्मक नियुक्ति नीति को संशोधित किया है।

इसके अलावा, एमआईबी और प्रसार भारती द्वारा डीओपीटी के मौजूदा निर्देशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती में मानव संसाधन के संबंध में सैम पित्रोदा समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई इस प्रकार है: -

क्र.सं.	**सिफारिश**	**समिति की सिफारिशें**	**की गई कार्रवाई (क्या कार्रवाई की गई है या नहीं)**	**मंत्रालय/प्रसार भारती द्वारा की गई कार्रवाई**

1.	3.1	प्रसार भारती को सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना अपने कर्मचारियों के लिए नियम और विनियम तैयार करने की शक्ति प्रदान करना।	अनुशंसा संख्या 3.1 स्वीकार नहीं की जाती है।	शून्य। चूंकि सरकार सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया।
2.	3.2	प्रसार भारती के जनादेश के अनुरूप भविष्य के लिए कार्यबल की आवश्यकताओं को मैप करने के लिए एक व्यापक जनशक्ति लेखा परीक्षा और मानव संसाधन संबंधी प्लानिंग करना।	सिफारिश संख्या 3.2 मंत्रालय में स्वीकार की जाती है। प्रसार भारती ने 21.11.2018 को प्रसार भारती की जनशक्ति लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को अनुबंध प्रदान किया है।	प्रसार भारती की जनशक्ति लेखापरीक्षा का अनुबंध मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को दिया गया था। जनशक्ति लेखापरीक्षा की दिनांक 29.09.2020 की अंतिम रिपोर्ट को सीईओ, प्रसार भारती द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। कुल 115 कार्रवाई योग्य सिफारिशें हैं यथा: - (i) प्रसार भारती के दायरे में 83 को स्वीकार किया गया है और उन पर कार्रवाई की गई है। (ii) 05 सिफारिशों की पहचान उनके वैधानिक निहितार्थों के कारण सरकार के दायरे में की गयी है। (iii) शेष सिफारिशों पर, कार्यान्वयन की जटिलता के कारण इस समय कोई कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया गया है। जनशक्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

3.	3.3	एक पुन: तैनाती योजना के साथ पूरक जनशक्ति लेखा परीक्षा जो एक संस्थागत आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से मौजूदा जनशक्ति के प्रशिक्षण, पुन: कौशल और प्रचार को संबोधित करती है।	सिफारिश संख्या 3.3 मंत्रालय में स्वीकार की जाती है।	जनशक्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट की विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।
4.	3.4	सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने और कुशल पेशेवरों को काम पर रखने की अनुमति देने के लिए एक प्रभावी भर्ती प्रणाली बनाएं।	अनुशंसा संख्या 3.4 को स्वीकार किया जाता है लेकिन विवरण प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाएगा। मंत्रालय अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से एक प्रभावी भर्ती प्रणाली प्रदान करने पर काम कर रहा है।	प्रसार भारती अधिनियम की धारा 9 और 10 के प्रावधानों के अनुसरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 12.02.2020 को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) स्थापन भर्ती बोर्ड नियम, 2020 को अधिसूचित किया है। इसके बाद, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के वेतमान से कम वेतनमान वाले पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रसार भारती द्वारा 01.07.2020 को 'प्रसार भारती भर्ती बोर्ड' (पीबीआरबी) के नाम से भर्ती बोर्ड की बनाया गया है।

5.	3.5	उचित स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद सरकारी कर्मचारियों को प्रसार भारती के पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में शामिल करने के उपायों को प्रोत्साहित को। जो सरकार में बने रहते हैं, उन्हें सरकार के भीतर अन्य विभागों में समाहित करने के लिए विचार किया जा सकता है जैसा कि अन्य मामलों में किया जाता है।	08.03.2012 से लागू प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2011 के मद्देनजर सिफारिश संख्या 3.5 को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।	शून्य, चूंकि सरकार द्वारा सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

(सिफारिश क्रम संख्या 19)

समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान स्तर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन क्रमशः 63.24 करोड़ रुपये और 45 करोड़ रुपये है जबकि वास्तविक व्यय (31.12.2021 तक) 7.86 करोड़ रुपये है। वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान स्तर स्तर पर आवंटित राशि के उपयोग का प्रतिशत बहुत कम क्रमशः 12.43% और 17.47% होने के कारण वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में समिति के पास चिंता व्यक्त करने के लिए पर्याप्त कारण /आधार हैं । समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु मंत्रालय की योजना में एफटीआई, अरुणाचल का स्थायी परिसर, भारतीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की कहानियों पर आधारित वृत्तचित्रों/फिल्मों का निर्माण करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में फिल्म समारोहों का समर्थन करना, सामुदायिक रेडियो क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र स्टेशन के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करना, लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) के तहत विभिन्न गतिविधियां, और प्रसार भारती की कई परियोजनाएं जैसे नामसाई (अरुणाचल प्रदेश) में 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना शामिल हैं। मोन (नागालैंड), त्युएनसांग (नागालैंड), नोंगस्टोइन (मेघालय), विलियमनगर (मेघालय) और दीफू (असम) में 5 स्थानों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना, कोकराझार (असम) में आकाशवाणी स्टूडियो का नवीनीकरण, कोकराझार (असम) में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना, डीटीएच एसटीबी का वितरण, डीडीके गंगटोक में टावर का सुदृढ़ीकरण आदि शामिल है। समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/प्रसार भारती उसके सामने आ रही कठिनाइयों/कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी और तत्काल उपाय करे और यह सुनिश्चित करे कि वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर 63.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इष्टतम उपयोग हो। समिति को पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, ब.प्रा. और स.प्रा. के तहत आवंटन क्रमशः 63.24 करोड़ और 45.00 करोड़ रु था। ब.प्रा. और स.प्रा. के लिए निधियों का उपयोग क्रमशः 38.92% और 54.69% था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय की गति निम्न कारणों से धीमी थी:

(i) डीसीआईडी योजना के तहत, कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण, पत्र सूचना कार्यालय द्वारा सूचना का प्रसार केवल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया लोकसंपर्क कार्यक्रम और योजना के प्रचार घटक के तहत किया गया है। महामारी संबंधी प्रतिबंधों ने भी डोर टू डोर लोकसंपर्क कार्यकलापों में बाधा उत्पन्न की। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण बड़े पैमाने पर प्रदर्शनियों का आयोजन करना संभव नहीं था। तथापि, बीओसी/आरओबी द्वारा वर्चुअल समुदायों के गठन, वेबिनारों के आयोजन और न्यू इंडिया समाचार में सरकारी योजनाओं और नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों और घोषणाओं और सूचनाओं को भौतिक और डिजिटल प्रारूप में प्रसारित डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रभावी पहुंच करते हुए इस बाधा को दूर किया गया। .

(ii) डीसीडीएफसी स्कीम के तहत, कम व्यय के कारण निम्नानुसार थे:

क. कोविड-19 के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में कोई फिल्म समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। तथापि, मंत्रालय द्वारा मणिपुर फिल्म महोत्सव, हॉर्नबिल फिल्म महोत्सव, नागालैंड और मणिपुर फिल्म महोत्सव को सहायता दी गई।

ख. कोविड-19 के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव और मिनी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित नहीं किया जा सका।

ग. पूर्वोत्तर राज्यों से क्षेत्रीय/बाल फिल्मों के निर्माण के कम प्रस्ताव प्राप्त हुए।

घ. कोविड-19 के कारण, सीएफएसआई किसी भी नियोजित कार्यकलाप को निष्पादित नहीं कर सका।

(iii) सीआरएस के संबंध में, कोई व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र से अनुदान जारी करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही, कोविड-19 के कारण, कार्यशालाएँ और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सके।

(iv) बीआईएनडी योजना के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम व्यय के कारण निम्नलिखित थे:

(क) प्रशासनिक कारणों से निविदा रद्द होने के कारण डीटीएच सेट टॉप बाक्स (एसटीबी) की डिलीवरी और भुगतान जारी नहीं किया जा सका।

(ख) सिक्किम में विशेष एजेंसी की अनुपलब्धता के कारण गंगटोक में टॉवर सुदृढ़ीकरण कार्य में देरी हुई।

(ग) अतिक्रमण के कारण जगह उपलब्ध न होने के कारण नामसाई में 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के लिए भवन एवं टावर का कार्य नहीं किया जा सका।

(घ) कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण कोकराझार में 7 स्थानों पर स्टूडियो के डिजिटलीकरण और स्टूडियो कार्यों के नवीनीकरण के लिए विभागीय कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

ब.प्रा. 2022-23 के लिए, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 63.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसके लिए विधियों को पूर्ण उपयोग करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

अध्याय-तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

---शून्य---

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

(सिफारिश क्रम संख्या 3)

<u>भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई)</u>

समिति नोट करती है कि भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई) का कार्यालय 1956 में प्रथम प्रेस आयोग (1953) की सिफारिश पर और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम (पीआरबी), 1867 में संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ एक संलग्न कार्यालय के रूप में, आरएनआई वैधानिक और गैर-सांविधिक कार्यों को निष्पादित करता है। आरएनआई देश भर में प्रकाशित समाचार पत्रों और प्रकाशनों का एक रजिस्टर रखता है, समाचार पत्रों और प्रकाशनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को नए समाचार पत्रों के शीर्षक के अनुमोदन के बारे में सूचित करता है, और समाचार पत्रों के प्रकाशकों और प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। अपने गैर-सांविधिक कार्यों के तहत, आरएनआई आरएनआई के साथ पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ता प्रकाशनों के लिए अखबारी कागज के आयात के लिए स्व-घोषणा का प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है। वर्ष 2017-20 के दौरान, आरएनआई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना 'मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम' के तहत 'आरएनआई मुख्यालयों का सुदृढ़ीकरण' योजना के कार्यान्वयन के लिए राशि आवंटित किया गया था। वर्ष 2020-21 से पूरी योजना को एक स्वचालन परियोजना में मिला दिया गया है, जिसका व्यय स्थापना व्यय से पूरा किया जाएगा। अभी तक आरएनआई की कोई योजना नहीं है। वर्तमान में, शीर्षकों के लिए आवेदन ऑनलाइन भरा जा सकता है, शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण का कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से किया जा सकता है और सभी सत्यापित शीर्षकों को आरएनआई वेबसाइट पर डाला जा रहा है और डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में कार्यालय की विभिन्न प्रक्रियाओं सहित शीर्षक और पंजीकरण के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएंगी।

समिति को यह जानकर आश्चर्य होता है कि 31 मार्च, 2021 तक इस परियोजना का 35 प्रतिशत पूरा होने के बावजूद भी और आज पूरी प्रक्रिया मैनुअल है । जिसमें कलेक्टर को आवेदन करना होता है एवं अखबार के मालिक को उनके समक्ष शपथ देनी होती है फिर यह आरएनआई के पास भेजा जाता है जहां कागजात की भौतिक जांच की जाती है कि कितने पेपर प्रकाशित हुए हैं, आदि। तत्पश्चात इसे पंजीकृत करना होता है। यह भी आश्चर्य की बात है कि डिजिटलीकरण के वर्तमान समय में जब जीवन के लगभग सभी काम डिजिटल मोड में हो रहे हैं, फिर भी लगभग 70,000 से 80,000 अखबारों का वार्षिक रिटर्न, शुल्क का भुगतान, सभी प्रकाशनों को प्रचार प्रसार, सांख्यिकी और अन्य गतिविधियां क्रिया-कलाप मैन्युअल रूप से होती हैं। समिति को आश्चर्य लगता है कि स्वचालन की इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी क्यों की गई है। यह केवल यह दर्शाता है कि हम समय से बहुत पीछे चल हैं। इसलिए, समिति मंत्रालय को आरएनआई में ऑटोमेशन प्रक्रिया को तीव्र करने और इसे भुगतान प्रणाली से जोड़ने की सिफारिश करती है ताकि समय कम में और समाचार पत्रों का एक ही स्थान पर निरंतर

रिकॉर्ड किया जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित कर सकता है ताकि प्रकाशन उद्योग में कारोबार को आसान बनाया जा सके।

यहां तक कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के संबंध में, मंत्रालय को सूचित किया गया है कि उन्होंने उस अधिनियम में एक संशोधन पर किया है। हालांकि, इसे अभी तक परिचालित नहीं किया गया है और इसे कैबिनेट को भेजा जाना है। इस विधेयक को समिति के पास भेजा गया था और समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम लगभग 160 वर्ष पुराना है, समिति मंत्रालय को अधिनियम के संशोधन में देरी न करने की सिफारिश करती है और उन्हें प्रस्तावित संशोधन के बारे में भी अवगत कराती है। इसके अलावा, डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया से संबंधित मंत्रालय को दिए गए नए जनादेश के आलोक में, समिति मंत्रालय को ऑनलाइन समाचार पत्रों पर इस अधिनियम कको लागू करने की स्थिति स्पष्ट करने की भी सिफारिश करती है। आरएनआई को बजट आवंटन के संबंध में, मंत्रालय बता सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान बजट बीई स्तर पर आरएनआई के लिए रुपये 7.95 करोड़ रुपये आवंटित क्यों किए गए हैं, जब आरएनआई की कोई योजना नहीं है और आरएनआई के स्वचालन परियोजना व्यय को स्थापना व्यय से पूरा किया जाएगा। समिति मंत्रालय को 2021-22 के विपरीत 2022-23 के दौरान निधि का पूर्ण उपयोग करने की सिफारिश करती है, जिसमें वास्तविक आरएनआई के तहत व्यय बीई और आरई आवंटन का क्रमशः 68.19% और 70.68% था।

<u>सरकार का उत्तर</u>

आरएनआई के लिए ब.प्रा. आवंटन 8.52 करोड़ रुपए है। सं.प्रा. में इसे 8.21 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक व्यय 7.75 करोड़ रुपए था जोकि सं.प्रा. का 94.38% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरएनआई का ब.प्रा. 7.95 करोड़ रुपये है। इस आवंटन में से प्रमुख घटकों में वेतन के लिए 5.40 करोड़, 'कार्यालय व्यय' के लिए 1.11 करोड़ रुपए और 'पेशेवर सेवाओं' के लिए 0.87 करोड़ रुपए शामिल हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 7 **देखें)**

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

<u>एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई-एवीजीसी)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 9)

समिति ने नोट किया कि 2022-23 के दौरान, फिल्म क्षेत्र के तहत दो प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं: (i) मुंबई में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एनसीओई-एवीजीसी) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। (ii) एवीजीसी की क्षमता को साकार करने और हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन कार्य बल की स्थापना। समिति नोट करती है कि एनसीओई-एवीजीसी की स्थापना की परियोजना वास्तव में 2014-15 के दौरान की गई बजट घोषणा का एक हिस्सा थी, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति के साथ रु. 167.70 करोड़ और 2016-17 से 2019-20 तक चार साल की अवधि में लागू किया जाना था। समिति यह नोट करके चिंतित है कि लगभग 8 वर्षों के बाद भी एनसीओई-एवीजीसी केंद्र ने दिन का उजाला नहीं देखा है। यह ध्यान में रखते हुए कि एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) क्षेत्र बहुत प्रमुख क्षेत्र है और विशेष रूप से लॉकडाउन के कारण कोविड अवधि के दौरान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग वास्तव में गेमिंग उद्योग में आ गए हैं और यह प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। मंत्रालय को इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कमिटी नोट करती है कि इस क्षेत्र को समर्थन देने और इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एवीजीसी प्रमोशन कार्य बल बनाने का प्रस्ताव रखा है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उद्योग के सहयोग से इस पर काम कर रहे हैं। अंतर-मंत्रालयी कार्य बल में शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्री, वाणिज्य विभाग और डीपीआईआईटी आदि शामिल होंगे और यह कार्य बल उद्योग के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और कौशल संस्थानों के बीच एक इंटरफेस होगा। समिति, अंतर-मंत्रालयी कार्य बल की स्थापना के लिए मंत्रालय की योजना को नोट करते हुए, महसूस करती है कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना लंबे समय से लंबित है और एनसीओई की स्थापना की योजना के समय ही यह कदम उठाया जाना चाहिए था, जब एवीजीसी की परिकल्पना काफी पहले 2016-17 में की गई थी। अब जबकि मंत्रालय इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहा है, समिति मंत्रालय को कार्य बल की स्थापना के लिए कार्य योजना और समय सीमा तय करने और परिणाम को समिति को सूचित करने की सिफारिश करती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एनसीओई की स्थापना पिछले कई वर्षों से इस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कर रही है। फिल्म सिटी, गोरेगांव, मुंबई में एनसीओई की स्थापना के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ विचार-विमर्श आयोजित की गई थी।

तथापि, चूंकि कॉर्पोरेट संरचना, वित्त पोषण, राजस्व और परिचालन मॉडल और क्षेत्र में तेजी से तकनीकी परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए सरकार एनसीओई स्थापित नहीं कर पाई है।

मंत्रालय ने उद्योग के परामर्श से एनसीओई-एवीजीसी के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) संरचना के विकास का कार्य शुरू किया है।

एनसीओई, जैसा कि मंत्रालय द्वारा परिकल्पित किया गया है, एक स्वतंत्र, उद्योग की अगुवाई वाली संस्था होगी जो न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करती है, बल्कि उद्योग की कौशल आवश्यकताओं को भी पूरा करती है, ताकि युवा और उद्योग दोनों इससे लाभान्वित हो सकें। इस संबंध में फिक्की और सीआईआई जैसे उद्योग के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

<u>पीएम ई- विद्या</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 13)

समिति यह नोट करती है कि बजट भाषण (2022-2023) में की गई घोषणा के अनुसार पीएम-ई विद्या के अंतर्गत 'एक कक्षा एक टीवी चैनल' कार्यक्रम पर मंत्रालय द्वारा प्रमुखता से ध्यान दिया गया है। मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि फिलहाल पीएम-विद्या के अंतर्गत बारह चैनल हैं और इन बारह टीवी चैनल को क्लास 1 से 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा के लिए 200 कर दिया जाएगा। समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय का आशय इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन और फ्री डिश प्लेटफोर्म पर समर्थन प्रदान करना है और वे इस पर शिक्षा मंत्रालय के साथ कार्य करेंगे। भास्कराचार्य इन्स्टीट्यूट आफ स्पेस अपलीकेशन्स को यह कार्य सौंपा गया है। वे एक टेलीपोर्ट चला रहे हैं जहां वे 40 शैक्षिक चैनलों को अपलिंक कर रहे हैं, 12 स्कूल शिक्षा के लिए और शेष उच्चतर शिक्षा के लिए। इसलिए, स्कूल शिक्षा के लिए 12 चैनलों को बढ़ाकर 200 चैनल किया जाएगा ताकि पूरे भारत की प्रत्येक भाषा का शामिल किया जा सके। यह ईडीयूएसएटी से अलग है जिसमें परस्पर आदान-प्रदान था और वीएसएसी टर्मिनल पर आधारित था। समिति स्कूल शिक्षा के लिए चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 करने के प्रयास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, मंत्रालय से सिफारिश करती है कि इनकी संख्या को आवश्यकता होने पर और अधिक बढ़ाए ताकि भारत की सभी भाषाओं को शामिल किया जा सके। समिति चाहती है कि उसे पीएम-विद्या के अंतर्गत और विवरण की सूचना दी जाए जिसमें योजना के लिए वास्तव में आवंटित बजट और उसके कार्यान्वयन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित बजट और 200 चैनलों के चालू होने की समय-सीमा, कवर की जाने वाली भाषाएं , प्रत्येक भाषा और राज्यों में प्रसारित किए जाने वाले चैनलों का ब्यौरा, आदि शामिल हैं। समिति को पीएम-विद्या के अंतर्गत की गई प्रगति और इस परियोजना के प्रभाव के अध्ययन से भी अवगत कराया जाए। समिति यह सिफारिश भी करती है कि मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय , शिक्षा क्षेत्र और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों से व्यक्तियों को लेकर कार्य दल का गठन करने के संबंध में विचार करना चाहिए ताकि इसके प्रभाव का आकलन और सुधार के लिए भावी कार्य योजना का सुझाव दिया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

शिक्षा मंत्रालय [केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक घटक इकाई] द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार:

- टीवी चैनलों को 12 से 200+ तक बढ़ाने का काम जोर-शोर से शुरू हो गया है। सभी 200 चैनलों के लॉन्च के बाद पूरी तरह से समीक्षा करने से इस संबंध में उचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
- 12 चैनलों को 200 चैनलों तक बढ़ाने के लिए पीएम ई-विद्या बजट विवरण को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। तथापि, पीएम ई-विद्या के विभिन्न घटकों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 1,509,151,000/- रुपये की राशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार आवंटित की गई है:

कार्यक्रम संहिता	**शीर्षक यदि वर्ष 2022-2023 के लिए पीएम ई-विद्या के तहत कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है**	**आवंटित राशि**
20.17	स्कूल शिक्षकों, अध्यापक शिक्षकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दीक्षा/आईसीटी उत्कृष्टता पुरस्कार (जारी है)	90,75,000/- रु
20.18	महोत्सव आईसीटी मेला, डिजिटल सामग्री की प्रतियोगिताओं का आयोजन, और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय।	54,40,000/- रु
20.19	*पीएम ई-विद्या का प्रबंधन (एक वर्ग, एक चैनल, रेडियो, प्रसारण, पॉडकास्ट)*	24,75,00,000/-रु
20.20	दीक्षा - एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म	82,97,86,000/-रु
20.21	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास - तकनीकी मंच	7,97,00,000/- रु
20.22	निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण	2,36,50,000/- रु
20.23	स्किल ई-लर्निंग लैब का विकास	5,00,00,000/- रु
20.24	वर्चुअल लैब का विकास	26,40,00,000/-रु
	कुल राशि	**1,509,151,000/-रु**

- स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अभिविन्यास कार्यक्रमों और परामर्श के साथ शुरू हो चुकी है, जो 22-23 मार्च, 2022 को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर में आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 17 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/संगठनों ने भाग लिया। ई-सामग्री के निर्माण, संकलन और प्रसार के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को पहले ही बड़ी संख्या में हितधारकों के साथ साझा किया जा चुका है। बीआईएसएजी-एन ने

सूचित किया है कि सिविल/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना तैयार करने के मामले में भी उनकी तैयारी जोरों पर है। ट्रांसपोंडर को काम पर रखा जाएगा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) इसके लिए तैयार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चैनल आवंटन की संख्या पर चर्चा की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वीडियो सामग्री के साथ तैयार रहने के लिए सूचित किया गया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बीआईएसएजी-एन, गांधी नगर में 30-31 मई 2022 तक राज्य के पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय दूसरा अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

- इस पहल के तहत, देश की सभी प्रमुख भाषाओं को भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) सहित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से कवर किया जाना है।
- अभी तक पूरे देश में सभी 12 चैनल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में चल रहे हैं। जैसे ही, 200 चैनलों के हिस्से के रूप में अधिक संख्या में चैनल क्रियाशील होते हैं, प्रत्येक भाषा और राज्यों में रिले किए गए चैनलों का विवरण उपलब्ध होगा।
- सीआईईटी, एनसीईआरटी ने उक्त परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पहले से ही एक शोध कार्यक्रम की योजना बनाई और प्रस्तावित की गई है।

सीआईईटी, एनसीईआरटी ने एक अकादमिक सलाहकार समिति (एएसी) का गठन करने की योजना बनाई और प्रस्तावित की गई है जिसमें अकादमिक, और एडटेक क्षेत्र के लोग और क्षेत्र के अन्य हितधारक शामिल हैं, जो प्रभाव का आकलन करने में सलाह देने और सहायता करने के साथ-साथ सुधार के लिए भविष्य की कार्रवाई का सुझाव देते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

समिति की टिप्पणियां

(**कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या** 13 **देखें**)

<u>डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (डिजिटल स्थलीय प्रसारण) (डीटीटी)</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 14)

समिति यह नोट करती है कि 2017 में टीआरएआई द्वारा प्रस्तुत रोडमैप के अनुसार डीटीटी को देश में पूर्ण माइग्रेशन और दिसम्बर, 2023 तक अनालॉग स्विच आफ के साथ तीन चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। तीन चरणों की समय-सीमा में (एक) चरण एक (मेट्रो शहर) 31 दिसम्बर, 2019 तक, (दो) चरण दो (2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख आबादी से अधिक वाले शहर) 31 दिसम्बर, 2021 तक और (तीन) चरण-तीन (शेष भारत) 31 दिसम्बर, 2023 तक, शामिल हैं। समिति यह नोट करती है कि मेसर्स केपीएमजी ने अपनी रिपोर्ट में डीटीटी से संबंधित एक सिफारिश की है जिसमें यह कहा गया है कि डीटीटी के बिजनेस माडल के लिए कोई निर्णय न मिल पाने की संभावना को देखते हुए, इस घटक में निवेश सार्थक नहीं होगा। डीटीटी पर मेसर्स केपीएमजी की सिफारिश के जवाब में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह बताया है कि डीटीटी के लिए उनका भावी रौडमैप प्रसार भारती द्वारा मान्यता प्राप्त आईआईटी कानपुर के अध्ययन के परिणाम पर निर्भर करेगा।

समिति उक्त अध्ययन और उस पर की गई कार्रवाई के बारे में जानना चाहेगी। अनालॉग ट्रांसमिशन के परिमेयकरण को देखते हुए, समिति की बंद हो चुके स्थापनों के भविष्य के संबंध में चिंता पर उत्तर देते हुए, सीईओ, प्रसार भारती ने सूचित किया कि बहुत से स्थापनों में एफएम रेडियो हैं और 113 नई एफएम रेडियो परियोजनाएं आ रही हैं जिनमें स्टाफ का उपयोग हो सकेगा। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि उनमें से बहुत स्टाफ एफएम साइट में पुन: तैनात हो रहे हैं और मंत्रालय शेष को नए कौशल प्रशिक्षण करेगा। समिति सभी प्रयासों की सराहना करते हुए, मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह देश में डीटीटी के क्रियान्वयन के लक्ष्य की प्राप्ति की समय-सीमा जो दिसम्बर, 2023 है, का अनुपालन करें और उसे डीटीटी के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त चरण-वार लक्ष्यों के बारे में सूचित किया जाए। यह ध्यान में रखते हुए कि डीटीटी प्रौद्योगिकियां टीवी स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को संभव बनाती हैं , बेहतर गुणवत्ता की सेवा देती हैं, एक ही चैनल बैंडविड्थ के भीतर बहुविध प्रसारण सेवाएं देती हैं, समिति सिफारिश करती है कि डीटीटी प्रसारण के प्रभाव का आकलन करने के लिए डीटीटी के कार्यान्वयन के स्थानों से समय समय पर फीडबैक प्रदान किए जाएं।

<u>सरकार का उत्तर</u>

जहां तक प्रसार भारती का संबंध है, इसने 31.03.2022 को कार्यनीतिक स्थानों पर कुछ ट्रांसमीटरों को छोड़कर पूरे देश में अपने एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमिशन को बंद कर दिया है। इसके अलावा, इसने 11वीं और 12वीं योजना के तहत सरकार द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अनुसार 19 शहरों में 23 डीडी डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविजन (डीटीटी) ट्रांसमीटर भी चालू किए हैं।

दूरदर्शन द्वारा डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन का कोई और विस्तार डिजिटल टेरेस्ट्रियल टीवी पर एक व्यवहार्य नीति को अंतिम रूप देने, उन क्षेत्रों की पहचान करने जहां इस तरह के प्रसारण को जारी रखा जाएगा और उपयुक्त तकनीक का चुनाव करने के बाद ही किया जाएगा।

इसके अलावा, प्रसार भारती ने 5जी ब्रॉडकास्ट जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के लिए नेक्स्ट जेनरेशन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशं/रोडमैप विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्टिंग के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) की मंजूरी से आईआईटी कानपुर को भी अवगत करा दिया गया है। नेक्स्ट जेनरेशन ब्राडकास्ट मॉडल का पीओसी प्रक्रियाधीन है। इस पीओसी का मूल्यांकन डिजिटल प्रसारण के लिए उपयुक्त अगली पीढ़ी के प्रसारण प्रौद्योगिकी और रोडमैप के चयन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-**11/18/2022-**पीसी सेल दिनांक **26.07.2022**

नई दिल्ली;

<u>8 फरवरी, 2023</u>

19 माघ,1944 (शक)

प्रतापराव जाधव,

सभापति,

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

संबंधी स्थायी समिति।

अनुबंध - दो

34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(सत्रहवीं लोकसभा)

[देखिये प्राक्कथन का पैरा संख्या 5]

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश क्रम संख्या:- 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 और 19

कुल	15
प्रतिशत	78.95

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

कुल	शून्य
प्रतिशत	0.00

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया गया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश क्रम संख्या:- 3

कुल	01
प्रतिशत	5.26

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

सिफारिश क्रम संख्या: 9, 13, और 14

कुल	03
प्रतिशत	15.79